

55वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट
2023-24

55th ANNUAL ASSESSMENT REPORT
2023-24



भारत सरकार
Government of India
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु बनाए गए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के संबंध में

55वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2023-24

55th ANNUAL ASSESSMENT REPORT 2023-24

Regarding Programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union and its implementation



भारत सरकार

Government of India

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

CONTENTS

	Page No.
FOREWORD	ii
CHAPTER-1 Official Language Policy of the Union.....	1-3
CHAPTER-2 Part-A: Data regarding Implementation of the Official Language Policy received from various Ministries/Departments/Offices for the year 2023-24.....	4-24
Part-B: Assessment of implementation of the Official Language Policy in Ministries/ Departments and their Attached /Subordinate offices, Corporations, Undertakings and Banks etc., during the year 2023-24.....	25-28
CHAPTER-3 Shortcomings noticed in the implementation of the Official Language Policy, remedial measures for removing them and suggestions for better implementation of the Official Language Policy.....	29-35

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	ii
अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति.....	1-3
अध्याय-2 भाग-क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से प्राप्त वर्ष 2023-24 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े.....	4-24
भाग-ख: मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों और बैंकों आदि द्वारा वर्ष 2023-24 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन.....	25-28
अध्याय-3 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां, उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय और राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव.....	29-35

FOREWORD

Under Article 343(1) of the Constitution, Hindi shall be the Official Language of the Union. Article 351 says that it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963; resolutions, general orders, rules, notifications, administrative and other reports, press communiqués, administrative and other reports and official papers to be laid before a House or Houses of Parliament, contracts, agreements, licenses, permits, tender notices and forms of tenders shall be issued bilingually, both in Hindi and English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated vide Ministry of Home Affairs O.M.No. 5/8/65-O.L. dated 18th January, 1968. It was resolved that “a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament and sent to all State Governments”. Annual Programme for the year 2023-2024 was sent for compliance to all the offices of the Central Government by the Department of Official Language. Besides, concerted efforts for implementing the provisions of the Annual Programme, were also made throughout the year. The present assessment report is based on the analysis of information, data and progress reports received from various Ministries/Departments etc.

Continuous efforts have been made by the Ministries/Departments of the Central Government to accelerate the use of Official Language Hindi in their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Corporations, Banks etc., also. As a result, there has been improvement in the progressive use of Hindi in many spheres during the year 2023-2024 as compared to the year 2022-2023. However, targets laid down for many items in the Annual Programme for the year 2023-2024 could not be achieved. In such cases, attention of the concerned offices was drawn towards the deficiencies on receipt of the quarterly reports and at the time of inspection of the Ministries/Departments, Undertakings, Attached and Subordinate offices etc.

Constant monitoring was done on the progress of implementation through the Hindi Advisory Committee of the Ministries/Departments, their Official Language Implementation Committees, Official Language Implementation Committees of Attached/Subordinate offices, Undertakings and Banks as well as various Town Official Language Implementation Committees.

Sustained efforts were made in the field of translation work, training of officers/employees including Hindi /Hindi typing/Hindi shorthand to typists/stenographers. Though desired success could not be achieved in a number of offices, our efforts continue.

The position regarding the implementation of the Official Language during the year 2023-2024 in various Ministries/Departments/Offices has been given in Chapter-2 of this Report. It is expected that in the ensuing years, concerned offices would not only remove the deficiencies mentioned in this report but also make substantial progress.

The 54th Annual Assessment Report for the year 2022-2023 was prepared and laid on the table of both the Houses of Parliament. This is the 55th report in the series, for the year 2034-2024. We believe that this Assessment will help to give right direction to the progressive use of Hindi and its use will gain momentum.

July, 2025

Department of Official Language
Ministry of Home Affairs, Government of India
New Delhi

प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार-प्रसार का संवर्द्धन एवं इसका विकास करे ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार-संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टों, प्रैस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों व सरकारी कागजात, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों, निविदा सूचनाओं, निविदा प्रपत्रों को द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय के दिनांक 18 जनवरी, 1968 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/65-रा.भा. द्वारा परिचालित किया गया था। यह संकल्प किया गया था कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके कार्यान्वित किया जाएगा तथा इस संबंध में किए गए उपायों एवं प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए भेजा गया था। इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम में की गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए पूरे वर्ष गहन प्रयत्न भी किए गए। वर्तमान मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों तथा प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि में भी राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कई क्षेत्रों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सुधार हुआ है। तथापि, वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में कई मदों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में त्रिमाही रिपोर्टों के प्राप्त होने पर तथा मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों आदि में निरीक्षणों के समय संबंधित कार्यालयों का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित किया गया।

मंत्रालयों/ विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों, उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों के साथ ही विभिन्न बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी की गई।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र में, अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी पढ़ाने और टंककों/आशुलिपिकों को क्रमशः हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करने के निरंतर प्रयास किए गए। हालांकि कई कार्यालयों में आशानुकूल सफलता नहीं मिली, फिर भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति दी गई है। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में संबंधित कार्यालय इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को न केवल दूर करेंगे बल्कि पर्याप्त प्रगति भी करेंगे।

इससे पूर्व वर्ष 2022-23 की 54वीं मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। उसी क्रम में अब वर्ष 2023-24 की 55वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि यह मूल्यांकन हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उचित दिशा देने में सहायक होगा तथा इससे हिंदी के प्रयोग में और तेजी आएगी।

जुलाई, 2025

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

CHAPTER-1

THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

Constitutional Position

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union. However, clause 2 of Article 343 provided for continued use of English for official purposes of the Union for a period of 15 years from the commencement of the Constitution i.e., till 26th January, 1965. It further provided that during the said period, the President may, by an order, authorize the use of Hindi, in addition to English, for any work specified in such order. Article 343(3) empowered Parliament by law to provide for the continued use of the English language for specified official purposes even after 26th January, 1965. In exercise of this authority, the Official Languages Act, 1963 was passed enabling continued use of English beyond the said 15 years for the official purposes of the Union.

Article 344 of the Constitution provided for constituting a Commission by the President after the expiration of five years from the commencement of the Constitution and thereafter after 10 years from such commencement, consisting of a Chairman and such other members representing the different languages mentioned in the VIII schedule of the Constitution

The Commission was required to make recommendations to the President regarding –

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restriction of the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in Article 348;
- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the Official Language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

In making recommendations, the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and interests of persons belonging to the Non-Hindi speaking areas with regard to the Public Services.

The Article 344 further provided for constituting a committee consisting of 30 Members of Parliament - 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha elected respectively by the members of two Houses in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote.

The Committee was mandated to examine the recommendations of the Commission and to report to the President their opinion thereon.

The Official Language Commission was appointed in the year 1955 and it submitted its report in the year 1956. A Committee of Parliament was constituted in the year 1957 to examine the recommendations of the Commission. After considering the recommendations of the committee, a comprehensive Presidential order, dated 27th April, 1960 was issued.

Official Languages Act, 1963

With a view to giving effect to the recommendation of the Official Language Commission and the Parliamentary Committee for the continued use of English empowered by article 343(3) of the Constitution of India, Parliament passed the Official Languages Act, 1963, which was subsequently amended in the year 1967. Some of the important provisions of the Amended Act are as follows:

(1) According to Section 3(1) of the Act, even after 26th January, 1965, the English Language may continue to be used in addition to Hindi, (a) for all official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and (b) for the transaction of business in Parliament.

(2) English shall be used for correspondence between Central Government and a State which has not adopted Hindi as its official language unless the latter has accepted the use of Hindi for this purpose.

अध्याय-1 संघ की राजभाषा नीति

सांविधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा 2 में 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान किसी आदेश द्वारा अंग्रेजी के अतिरिक्त इस आदेश में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी विनिर्दिष्ट शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसमें संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 344 में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे।

आयोग द्वारा राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित के विषय में सिफारिश प्रस्तुत करनी थी :-

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगामी प्रयोग,
(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन,
(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
(ङ.) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए कोई अन्य विषय।

आयोग अपनी सिफारिशें करने में, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति को आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति जी को उसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था।

सन् 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई और उसने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1956 में प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति की स्थापना की गई। संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति जी के विस्तृत आदेश जारी किए गए।

राजभाषा अधिनियम, 1963

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों से राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

(1) अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार (क) संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 के पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

(2) केंद्र सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, जब तक कि उस राज्य ने हिंदी का प्रयोग करना स्वीकार न कर लिया हो।

Similarly, Governments of Hindi-speaking States would correspond with such States in English and if any communication is sent in Hindi, it shall be accompanied by an English translation thereof. However, there would be no objection to any two States corresponding in Hindi, with mutual consent.

(3) Hindi in prescribed proportions will be used for communication between the Central Government Offices etc., but in region 'C' a translation in the English language shall be provided until staff in the offices concerned acquired a working knowledge of Hindi.

(4) According to Section 3(3) of the Act, the use of both Hindi and English is obligatory for the following documents:-

1. Resolutions 2. General Orders 3. Rules 4. Notifications 5. Administrative and other Reports 6. Press-Communiqués 7-8 Administrative & other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament 9. Contracts 10. Agreements 11. Licenses 12. Permits 13. Tender notices and 14. Forms of tender.

(5) According to Section 3(4), while framing rules under the Act, it shall be ensured that a Central Government employee who has proficiency in only one language- either Hindi or English can function effectively, and that he is not placed at a disadvantage on the ground that he does not have proficiency in both the languages.

(6) Section 3(5) of the Act provides that provisions relating to the use of English for the various purposes mentioned above shall remain in force until legislatures of all such States which have not adopted Hindi as their official language, have passed a resolution for the discontinuance of the use of English and until after considering these resolutions, a resolution to that effect is also passed by each House of Parliament.

(7) Section 4 of the Act provides for the Constitution of a Committee of Parliament on Official Language after 26th January, 1975. The Committee shall comprise thirty members, twenty from Lok Sabha and ten from Rajya Sabha. It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report making recommendations to the President. This Committee was constituted in the year 1976 and is functioning at present. Presidential orders on the 9th part of the report of the committee have been issued on 31 March, 2017.

(8) According to Section 7 of the Act, the Governor of a State may, with the prior consent of the President, authorize the use of Hindi or the Official Language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for the State. However, where any judgement, decree or order is passed or made in language other than the English language, it shall be accompanied by a translation of the same in the English language, issued under the authority of the High Court. So far the Governors of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar have obtained the President's consent and authorized the use of Hindi in the High Courts for these States.

Official Language Resolution, 1968

In December 1967, both the Houses of Parliament adopted a Resolution on the Official Language Policy of the Government which was notified on 18th January 1968. According to para 1 of the Resolution, the Central Government is required to prepare and implement a more intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi as also to ensure its progressive use for the official purposes of the Union. The Central Government is also required to lay an Annual Assessment Report on the Table of both Houses of Parliament giving details of measures taken and the progress achieved in this regard. Necessary action in this regard has been taken continuously and presently 55th report is being presented in the series.

Official Languages Rules, 1976

In exercise of the powers conferred under section 8, read with section 3(4) of the Official Languages Act, 1963, the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976 were framed in the year 1976 by the Central Government. The framing of these Rules is a very important step towards the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Some important provisions of these rules are as follows:-

(a) Communication from a Central Government office to a State located in region 'A' (viz. The States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand and the Union Territories of Delhi and Andaman & Nicobar Islands) or to any office (other than a Central Government office) or a person residing therein shall be in Hindi. If in any exceptional case, any communication is sent in English, it shall be accompanied by the Hindi translation thereof.

इसी प्रकार हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिंदी में भेजती हैं तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक सहमति से यदि कोई दो राज्य आपसी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए निर्धारित अनुपात में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन 'ग' क्षेत्र में पत्रादि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तब तक उपलब्ध कराया जाता रहेगा जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें।

(4) अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:-

1. संकल्पों 2. सामान्य आदेशों 3. नियमों 4. अधिसूचनाओं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों 6. प्रेस विज्ञप्तियों 7-8 संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें तथा सरकारी कागजातों 9. संविदाओं 10. करारों 11. अनुज्ञप्तियों 12. अनुज्ञा पत्रों 13. निविदा सूचनाओं और 14. निविदा प्रपत्रों

(5) धारा 3 (4) के अनुसार, अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण होने पर भी अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर उसका कोई अहित न हो कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है।

(6) अधिनियम की धारा 3 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न कर लें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दे।

(7) उक्त अधिनियम की धारा 4 में 26 जनवरी, 1975 के बाद एक संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे और अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। समिति का वर्ष 1976 में गठन किया गया था और यह इस समय कार्यरत है। समिति की रिपोर्ट के 9वें खंड पर दिनांक 31.03.2017 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

(8) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अथवा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि, यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया गया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने राष्ट्रपति जी की सहमति ले ली है और अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

राजभाषा संकल्प, 1968

दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी पारित किया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करेगी। केंद्र सरकार इस संबंध में किए गए उपायों तथा उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में निरंतर आवश्यक कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में 55वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1976 में राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इन नियमों का जारी किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। नियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध इस प्रकार हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय (केंद्र सरकार के कार्यालय के अलावा) या वहां रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में, कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(b) Communications from a Central Government office to a State located in region 'B' (viz the States of Punjab, Gujarat and Maharashtra and the Union Territory of Chandigarh, and Dadra and Nagar Haveli) shall ordinarily be in Hindi. If any such communication is sent in English, it shall be accompanied by a Hindi translation, thereof. However, communication to any person residing in these States may be in Hindi or English. However, according to the targets fixed in the Annual Programme, communications are required to be sent in Hindi to the individuals in region 'B' also.

(c) Communications from a Central Government office to any person or office in a State located in region 'C' (viz., all States and Union Territories not covered in Regions 'A' & 'B') shall be in English. If any such communication is sent in Hindi, it will be accompanied by the English translation, thereof.

(d) Communications between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English. However, communication between a Ministry/Department of the Central Government and the Attached and Subordinate Offices located in Region 'A' shall be in Hindi in such proportion as the Government may prescribe from time to time.

(e) Communications received in Hindi shall compulsorily be replied in Hindi (under Rule 5 of Official Language Rules, 1976). Whenever any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, reply thereto is also to be sent in Hindi under Rule 7 of Official Language Rules, 1976.

(f) Both Hindi & English shall be used for all documents, specified in Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and it shall be the responsibility of the Officer signing such documents to ensure that these are issued both in Hindi and English under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976.

(g) A Central Government employee may use either Hindi or English for noting on files without being required to furnish a translation thereof in the other language.

(h) All manuals, codes, rules, and other procedural literature relating to Central Government offices, shall be prepared and published both in Hindi and English in diglot form. All forms and headings of registers, name plates, stamps, notice-boards and other items of stationery etc., shall also be in Hindi and English under Rule 11 of Official Language Rules, 1976.

(i) Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules 1976 in the Official Gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages Rules 1976.

(j) It shall be the responsibility of the Administrative Head of every office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Rules are properly complied with and suitable and effective check-points for the purpose in their offices are devised under Rule 12 of Official Language Rules, 1976.

The Official Language Policy of the Union is based on the constitutional and statutory provisions mentioned above and its implementation is ensured by issuing orders/ instructions from time to time.

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य (जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली) को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा, तथापि इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। तथापि, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ख' क्षेत्र में व्यक्तियों को भी पत्रादि हिंदी में भेजे जाने अपेक्षित हैं।

(ग) केंद्र सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा।

(ङ.) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 7 के अंतर्गत हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

(छ) केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों में टिप्पण लिखने में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, नियम और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी प्रपत्रों और रजिस्ट्रों के शीर्ष, नामपट्ट, मुहरें, सूचना पट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

(ञ) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे और अपने कार्यालय में उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाए।

संघ की राजभाषा नीति उपर्युक्त सांविधानिक और सांविधिक प्रावधानों पर आधारित है और समय-समय पर आदेश/अनुदेश जारी करके राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

Chapter-2

Part-A

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of
Official Language policy have been received for the year 2023-24**

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
1.	Department of Space	21.	Ministry of Finance, Department of Expenditure
2.	Ministry of Coal	22.	Ministry of Finance, Department of Investment and Public Asset Management
3.	Ministry of Mines	23.	Ministry of Finance, Department of Revenue
4.	Ministry of Social Justice & Empowerment	24.	Ministry of Finance, Department of Economic Affairs
5.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training	25.	Ministry of Finance, Department of Financial Services
6.	Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare	26.	Ministry of Health and Family Welfare
7.	Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances	27.	Ministry of AYUSH
8.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution	28.	Ministry of Parliamentary Affairs
9.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs	29.	Ministry of Information and Broadcasting
10.	Ministry of Home Affairs	30.	Cabinet Secretariat
11.	Ministry of Jal Shakti	31.	Ministry of Food Processing Industries
12.	Department of Atomic Energy	32.	Ministry of Heavy Industries
13.	Ministry of Environment, Forest and Climate change	33.	Department of Public Enterprises, M/o Finance
14.	Ministry of Education, Department of Higher Education	34.	Ministry of Steel
15.	Ministry of Earth Science	35.	Ministry of New and Renewable Energy
16.	NITI Aayog	36.	Ministry of Power
17.	Ministry of Railways (Railway Board)	37.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, D/o Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare
18.	Ministry of External Affairs	38.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research & Education
19.	Ministry of Law and Justice , Legislative Department	39.	Department of Fishries
20.	Ministry of Law and Justice , Department of Legal Affairs	40.	Department of Animal Husbandry and Dairying

अध्याय-2

भाग-क

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2023-24 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय	कोड सं.	मंत्रालय / विभाग / कार्यालय
1.	अंतरिक्ष विभाग	21.	वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
2.	कोयला मंत्रालय	22.	वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
3.	खान मंत्रालय	23.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
4.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	24.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
5.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	25.	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
6.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग	26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
7.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	27.	आयुष मंत्रालय
8.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	28.	संसदीय कार्य मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग	29.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
10.	गृह मंत्रालय	30.	मंत्रिमंडल सचिवालय
11.	जल शक्ति मंत्रालय	31.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	32.	भारी उद्योग मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	33.	लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
14.	शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग	34.	इस्पात मंत्रालय
15.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	35.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
16.	नीति आयोग	36.	विद्युत मंत्रालय
17.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	37.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
18.	विदेश मंत्रालय	38.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
19.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग	39.	मत्स्य पालन विभाग
20.	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग	40.	पशुपालन और डेयरी विभाग

Chapter-2 (contd.)

Part-A

**Ministries/Departments/Offices from where data regarding implementation of
Official Language policy have been received for the year 2023-24**

Code No.	Ministry/Department/Offices	Code No.	Ministry/Department/Offices
41.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	62.	Ministry of Labour and Employment
42.	Office of the Comptroller & Auditor General of India Department of Indian Accounts & Audit	63.	Union Public Service Commission
43.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	64.	Ministry of Rural Development, Department of Rural Development
44.	Ministry of Road Transport and Highways	65.	Ministry of Rural Development, Department of Land Resources
46.	Ministry of Civil Aviation	66.	Ministry of Tourism
47.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals and Petro Chemicals	67.	Ministry of Culture
48.	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers	68.	Ministry of Tribal Affairs
49.	Department of Pharmaceuticals	69.	Election Commission of India
50.	Ministry of Defence, Department of Defence, Deptt. of Defence Research & Development and Ex-servicemen Welfare	70.	Ministry of Panchayati Raj
51.	Deptt. of Defence Production (Secretariat)	71.	Ministry of Youth Affairs and Sports
52.	Ministry of Commerce and Industry, D/o Commerce	72.	Ministry of North-Eastern Region Development
53.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	73.	Ministry of Minority Affairs
54.	Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology	74.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
55.	Ministry of Science and Technology, Department of Bio-Technology	75.	Ministry of Petroleum and Natural Gas
57.	Ministry of Textile	76.	Ministry of Corporate Affairs
		77.	Ministry of Women and Child Development
58.	Ministry of Housing & Urban Affairs	78.	Department of Drinking Water and Sanitation
59.	Ministry of Communication, Department of Telecommunication,	79.	Department of Empowerment of Persons with Disabilities
60.	Ministry of Electronics and Information Technology	80.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
61.	Ministry of Communication, Department of Posts		

अध्याय-2

भाग-क (जारी....)

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिनसे वर्ष 2023-24 के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

कोड सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	कोड सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	62.	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
42.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग	63.	संघ लोक सेवा आयोग
43.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	64.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग
44.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	65.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग
46.	नागर विमानन मंत्रालय	66.	पर्यटन मंत्रालय
47.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	67.	संस्कृति मंत्रालय
48.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग	68.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
49.	औषध विभाग	69.	भारत निर्वाचन आयोग
50.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	70.	पंचायती राज मंत्रालय
51.	रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय)	71.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
52.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	72.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
53.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	73.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
54.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	74.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
55.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग	75.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
57.	वस्त्र मंत्रालय	76.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
		77.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
58.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	78.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
59.	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	79.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
60.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	80.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
61.	संचार मंत्रालय, डाक विभाग		

वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और उनके कार्यालयों Data regarding Implementation of the Official Language Policy From various									
कोड सं./क्षेत्र	मंत्रालय / विभाग और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के नाम	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात		हिंदी में पत्राचार				मूल पत्राचार (तार/टेलिक्स/फैक्स सहित)	
		कुल संख्या	केवल अंग्रेजी में	हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में दिए गए उत्तर	अंग्रेजी में दिए गए उत्तर	हिंदी में जारी किए गए पत्र	अंग्रेजी में जारी किए गए पत्र	द्विभाषी जारी किए गए पत्र
Code No/ Region	Names of Ministries/Departments and their attached / subordinate Offices	Papers issued u/s 3(3) of the Official Language Act		Correspondence in Hindi			Original	Correspondence including Telegram/Telex/Fax	
		Total No.	Only in English	Total no. of letters received in Hindi	Letters replied to in Hindi	Letters replied to in English	Letters issued in Hindi	Letters issued in English	Letters issued bilingually
		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)
		(a)	(b)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(क) अंतरिक्ष विभाग सचिवालय (सचिवालय) (A) Deptt. of Space (Secretariat)	6098	0	1005	707	0	4241	4400	24037
1.1	(ख) अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, अहमदाबाद (B) Space Application Centre, Ahmadabad	7468	0	876	614	0	5519	1548	8913
1.2	(ग) अंतरिक्ष विभाग के केंद्र (C) Centre of Deptt. Of Space	77450	0	4116	2159	0	5967	29188	76343

से प्राप्त राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े Ministries /Departments and their Offices during the year 2023-24												
टंकक/	आशुलिपिक					इलेक्ट्रॉनिक/ यांत्रिक उपकरण आदि		कोड/ मनुअल/फार्म/ प्रकाशन आदि				राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें
कुल सं.	जो हिंदी टंकक/ आशुलिपि जानते *	जो अंग्रेजी टंकक/ आशुलिपि जानते हैं	जो दोनों जानते *	हिंदी कार्य का प्रतिशत	कुल संख्या	देवनागरी	द्विभाषी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	
Typist/ Stenographers					Mechanical/ Electronic equipments etc.			Code/ Manuals/ Forms/Publications etc				Meetings of OLIC
Total No.	Hindi typing/ Steno- graphy knowing	English typing/ Steno- graphy knowing	Knowing both	Percentage of Hindi work	Total No.	Devnagari	Bilingual	Total No.	Bilingual	Only in English	Only in Hindi	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(d)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
109	21	21	109	21	837	837	837	164	162	0	2	4
178	100	100	178	100	1362	1362	1362	336	332	0	4	8
1064	89	89	1064	89	10282	10282	10282	1499	1451	26	22	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	(क) कोयला मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Coal (H.Q)	216	0	1949	1646	0	5512	1870	576
2.1	(क) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Coal	37154	0	193720	126484	0	325585	25438	136
2.2	(ख) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Coal	1081	0	4827	2485	0	6671	392	0
2.3	(ग) कोयला मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Coal	29110	0	11566	6996	0	72189	36662	13266
3	(क) खान मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Mines (HQ)	1028	0	1553	1038	0	5435	1328	4238
3.1	(क) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Office under Ministry of Mines	8531`	0	42616	17908	0	42916	3909	3917
3.2	(ख) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Office under Ministry of Mines	8837	0	30793	12477	0	49420	10602	35639
3.3	(ग) खान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Office under Ministry of Mines	19301	0	19179	11618	0	36741	42700	42617
4	(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (A) Ministry of Social Justice & Empowerment	2487	0	5470	4613	0	0	2301	12110
5	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pension, Deptt. of Personnel & Training.	3004	0	5485	3949	0	24262	12806	24262
5.1	(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय (A) Office of Deptt of Personnel and Training	5712	0	12474	6779	0	35548	12823	35548
6	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (मुख्या.) (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances and Pensions, Deptt of Pension and Pensioners Welfare (HQ)	1501	0	1359	1254	0	18006	237	18006
7	(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (A) Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances	4264	0	1577	846	0	50819	6792	50819

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	14	14	14	100	133	133	133	18	18	0	0	4
689	572	572	77	86	8021	8021	8021	1025	908	23	94	4
135	107	107	28	79	576	576	576	156	29	68	59	4
1906	1139	1139	767	60	9036	9036	9036	360	297	35	23	4
14	50	50	7	50	198	198	198	27	27	0	0	4
140	94	94	8	94	2142	2117	2117	576	576	0	0	4
171	97	97	5	97	1296	1296	1296	327	327	0	0	4
206	70	70	92	70	6394	6394	6394	364	364	0	0	4
34	44	44	19	44	321	321	321	18	18	0	0	3
56	89	89	6	89	759	759	759	91	91	0	0	4
136	76	76	88	76	1072	1072	1072	263	190	72	1	16
2	2	2	0	100	91	86	86	42	42	0	0	4
2	2	2	2	100	121	121	121	10	10	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग(मुख्या.) (A) Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Food & Public Distribution (HQ)	3753	0	5671	4680	0	26575	4513	31088
8.1	(क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Food & Public Distribution	3898	0	14508	11361	0	55122	5197	3040
8.2	(ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Food & Public Distribution	308	0	166	50	0	637	206	180
8.3	(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Food & Public Distribution	478	0	184	53	0	1072	773	1185
9	(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग (मु.) (A) Ministry of consumer Affairs, Food & Public Distribution, Deptt. of Consumer Affairs(H.Q)	3503	0	1069	0	0	15437	1771	19463
9.1	(क) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	1328	132	4552	4026	526	58337	7973	50364
9.3	(ग) उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. Of Consumer Affairs	308	0	259	179	0	2593	0	2593
10	(क) गृह मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Home Affairs (H.Q)	44334	0	31003	28285	0	39557	22519	62076
10.1	(क) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Home Affairs	142506	1236	2018636	1480230	189	3190478	971838	54281
10.2	(ख) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Home Affairs	17015	1557	219703	179264	4	392458	88346	1114
10.3	(ग) गृह मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Home Affairs	71803	46972	1268148	974798	487	1512659	541047	26293
11	(क) जल शक्ति मंत्रालय (मु.) (A) M/o Jal Shakti (HQ)	5578	0	11999	8417	0	33629	6346	27283
11.1	(क) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Jal Shakti	1786	0	7713	4997	0	25116	1583	23553
11.2	(ख) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Jal Shakti	3592	0	3593	2904	0	2972	1817	1155
11.3	(ग) जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Jal Shakti	128	0	35	25	0	1892	1294	606
12	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (मु.) (B) Deptt. of Atomic Energy (Hq.)	2659	0	2765	1177	0	44912	10317	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
44	28	28	16	64	535	535	535	35	35	0	0	4
55	87	87	7	87	1325	1325	1325	109	109	0	0	23
0	0	0	0	0	8	8	8	12	12	0	0	4
8	7	7	1	88	16	14	14	54	26	24	0	0
12	50	50	6	50	162	162	162	19	19	0	0	4
392	72	72	359	72	701	701	701	395	309	96	0	12
27	93	93	27	93	53	53	53	30	21	9	1	4
226	34	34	148	34	70	2490	2490	155	155	0	0	4
7929	88	88	2083	88	20257	19969	18793	8090	2516	951	4622	870
1367	86	86	95	86	3091	3053	3079	4135	1077	305	2731	146
4773	91	91	676	91	14940	14316	14371	4270	1376	397	2522	853
361	72	72	246	72	3261	3261	3084	582	578	0	0	3
215	93	93	196	93	2310	2310	2310	463	461	0	0	3
26	88	88	23	88	450	450	450	55	55	0	0	0
10	100	100	0	100	185	95	95	60	58	0	0	3
38	76	76	29	76	453	453	453	72	72	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.1	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम/संस्थान (A) Units/Undertakings/Institutions of D/o Atomic Energy	35385	0	36523	21394	0	44189	851	27788
12.2	(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (B) Units/Undertakings/ Institutions of Deptt. of Atomic Energy	76870	0	36631	17101	0	277221	73970	228848
12.3	(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिट/उपक्रम /संस्थान (C) Units/Undertakings/ Institutions of Deptt. of Atomic Energy	43698	0	12284	6788	0	52232	59256	130322
13	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (HQ)	14809	0	7998	5266	0	50241	30074	0
13.1	(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	10719	0	19461	11457	0	50671	11921	16962
13.2	(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	19	0	57	31	0	820	780	18
13.3	(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Environment, Forest and Climate Change	3583	0	453	453	0	4613	21364	12569
14	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (A) D/o Higher Education, M/o Education	2416	0	4133	3323	0	2571	1710	2571
14.1	(क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Higher Education, M/o Education	8263	0	10970	7635	0	7351	9034	7351
14.2	(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Higher Education M/o Education	6332	0	7013	4331	0	4164	5493	1123
14.3	(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Higher Education, M/o Education	3471	0	4923	3033	0	1949	2734	947
15	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (A) Ministry of Earth Science	3507	0	3193	1941	0	9917	945	9917

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
450	82	82	443	82	6605	6349	6349	712	705	0	7	48
820	95	95	817	95	18771	18691	18691	1967	1885	70	13	76
630	60	60	626	60	11554	11505	11505	2165	2143	19	3	94
35	31	31	30	31	850	690	690	82	82	0	0	4
225	85	85	229	85	1938	1785	198	418	418	0	0	63
0	0	0	0	0	32	32	32	0	0	0	0	4
42	25	25	36	60	417	316	310	230	230	0	0	24
73	56	56	32	56	1124	1124	1124	43	43	0	0	4
3222	61	61	2207	61	8035	8035	8035	748	532	124	102	281
258	50	50	128	50	3825	3825	3825	343	230	62	51	294
190	68	68	128	68	2535	2535	2535	329	272	32	25	413
44	100	100	0	100	177	177	177	24	24	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1	(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Earth Science	2764	0	5294	4363	0	10521	2927	10521
15.2	(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Earth Science	1004	0	393	207	0	1588	344	1588
15.3	(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Earth Science	2784	0	230	168	0	110836	82000	110836
16	(क) नीति आयोग (A) NITI AYOOG	3259	0	3713	2767	0	9741	1911	9741
16.1	(क) नीति आयोग के अधीन कार्यालय (A) Offices under NITI AYOOG	634	0	92	41	0	2887	1504	2744
17	(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (A) Ministry of Railways (Railway Board)	4472	0	45971	27447	0	76586	6737	0
17.1	(क) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Railways	229558	0	813485	690493	0	822038	12198	0
17.2	(ख) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Railways	44785	0	64867	53589	0	135600	8805	0
17.3	(ग) रेल मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Railways	139352	0	32983	21578	0	103149	41741	0
18	(क) विदेश मंत्रालय (A) Ministry of External Affairs	22524	0	9645	5817	0	28924	28547	0
18.1	(क) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of External Affairs	3347	0	14063	9249	0	16041	2773	718
18.2	(ख) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of External Affairs	2876	0	1926	1014	0	6911	854	2452
18.3	(ग) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of External Affairs	3469	0	851	412	169	3554	7143	8135
19	(क) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय (A) Legislative Department, M/o Law & Justice	5605	0	4603	3453	0	7928	1484	0
19	(क) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय(क) (A) Legislative Department, M/o Law & Justice	5605	0	4603	3453	0	7928	1484	0
20	(क) विधि कार्य विभाग (सु0), विधि और न्याय मंत्रालय (A) Department of Legal Affairs (HQ), M/o Law & Justice	2934	0	1816	1546	0	4646	3746	0
20.1	(क) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Legal Affairs	157	0	7966	3659	2	21550	1452	0
20.2	(ख) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Legal Affairs	9757	0	7494	2973	0	50677	5621	0
20.3	(ग) विधि कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Legal Affairs	399	0	1055	553	0	11356	10138	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
132	100	100	0	100	867	867	867	81	81	0	0	9
17	71	71	5	71	865	865	865	60	46	14	0	4
12	75	75	3	75	1149	1049	1049	219	219	0	0	16
53	79	79	53	79	761	761	761	12	12	0	0	4
21	11	11	13	52	218	218	218	122	118	2	2	3
148	68	68	48	68	2802	2802	2802	739	737	0	2	4
7124	100	100	31	100	25032	25032	25032	106969	32183	0	74786	1617
1220	100	100	2	100	11745	11745	11745	94853	44577	44781	5495	543
4525	30001	30001	1524	66	35897	35897	35897	91185	60604	17643	12938	1502
559	65	65	196	65	4800	4687	4687	45	45	0	0	3
246	97	97	8	97	439	383	383	496	492	0	0	40
213	60	60	85	60	205	120	120	80	74	0	1	28
276	49	49	141	49	567	526	526	237	231	0	0	51
39	0	0	23	0	200	200	200	219	219	0	0	2
39	0	0	23	0	200	200	200	219	219	0	0	2
46	27	27	19	57	200	200	200	99	99	0	0	4
297	168	168	294	43	254	232	245	220	164	22	34	8
126	75	75	126	42	364	352	340	167	140	2	25	5
85	39	39	83	38	259	240	36	375	273	63	15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	(क) व्यय विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Expenditure (HQ), Ministry of Finance	11279	0	7596	7596	0	15843	12567	15843
21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Expenditure	20459	0	4717	3991	0	1869	11417	2472
22	(क) निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय (A) D/o of Investment and Public Asset Mgmt. M/o Finance	1307	0	290	256	0	1090	274	1090
23	(क) राजस्व विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Revenue (HQ), Ministry of Finance	8209	0	6377	4504	0	40545	22990	0
23.1	(क) राजस्व विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Revenue	31100	0	596454	429400	0	71141582	1097453	795
24	(क) आर्थिक कार्य विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Economic Affairs (HQ), Ministry of Finance	2281	0	1192	1116	0	2681	1088	1088
24.1	(क) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1735	0	8725	4337	0	25046	3303	10163
24.2	(ख) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Economic Affairs	2864	0	15350	2433	0	106421	52784	82984
24.3	(ग) आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Economic Affairs	1690	0	571	128	0	6120	4701	518
25	(क) वित्तीय सेवाएं विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय (A) Deptt. of Financial Services (HQ), Ministry of Finance	6555	0	15813	12407	0	46074	2506	0
25.1	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (मुख्यालय) (B) State Bank of India(HQ)	3189	0	49580	43544	0	168427	29991	788540
25.1.1	(क) भारतीय स्टेट बैंक (A) State Bank of India	30568	0	781118	660315	0	1163151	85708	387717
25.1.2	(ख) भारतीय स्टेट बैंक (B) State Bank of India	10314	0	227378	152050	0	605341	135176	180815
25.1.3	(ग) भारतीय स्टेट बैंक (C) State Bank of India	16785	0	93382	59757	0	360305	362305	177463
25.2	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) EXIM Bank (HQ)	433	0	2735	2547	0	7632	1416	8960
25.2.1	(क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (A) EXIM Bank	57	0	219	213	0	497	0	584
25.2.2	(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (B) EXIM Bank	575	0	3044	2778	0	8496	1588	9973
25.2.3	(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (C) EXIM Bank	205	0	319	219	0	880	878	1032

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
176	82	82	171	82	369	307	307	51	51	0	0	4
25	36	36	12	36	849	849	849	7	7	0	0	0
3	2	2	1	67	110	110	110	31	0	0	0	4
159	71	71	88	45	1088	1088	1088	42	42	0	0	4
2699	1830	1830	869	68	40207	39136	39250	11439	634	7941	2864	3252
35	8	8	19	23	720	720	720	0	0	0	0	2
58	100	100	0	100	860	860	860	164	159	0	0	23
49	100	100	0	100	2750	2750	2750	601	598	0	3	30
36	100	100	0	100	495	495	495	154	152	0	2	12
4	4	4	2	100	497	497	497	49	49	0	0	4
27	27	27	27	100	2964	2964	2964	48	48	0	0	4
14	14	14	14	100	66332	66332	66332	243	243	0	0	34684
30	30	30	30	100	56394	56394	56394	243	243	0	0	23112
23	23	23	23	100	91957	91957	91957	243	243	0	0	43236
0	0	0	0	0	225	225	225	112	112	0	0	4
0	0	0	0	0	57	57	57	112	112	0	0	20
0	0	0	0	0	240	240	240	112	112	0	0	16
0	0	0	0	0	23	23	23	112	112	0	0	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.3	(ग) यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) (C) UCO Bank (HQ)	1182	0	18766	18766	0	68929	3829	0
25.3.1	(क) यूको बैंक (A) UCO Bank	1906	0	35648	35648	0	120328	5907	0
25.3.2	(ख) यूको बैंक (B) UCO Bank	422	0	7646	7646	0	34268	8284	0
25.3.3	(ग) यूको बैंक (C) UCO Bank	908	0	6260	6260	0	36360	22812	0
25.4	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of India (HQ)	440	0	45362	38501	0	2350488	269695	1007352
25.4.1	(क) बैंक ऑफ इंडिया (A) Bank of India	32358	0	401967	355219	0	638035	35756	273444
25.4.2	(ख) बैंक ऑफ इंडिया (B) Bank of India	41295	0	392203	302594	0	3356925	255237	1438682
25.4.3	(ग) बैंक ऑफ इंडिया (C) Bank of India	28025	0	49281	31292	0	123677	105580	53005
25.5	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) SIDBI (HQ)	198	0	404	323	0	448	10	1368
25.5.1	(क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (A) SIDBI	559	0	839	496	0	244	952	19010
25.5.2	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (B) SIDBI	1354	0	2733	2240	0	6422	2589	41913
25.5.3	(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (C) SIDBI	582	0	2540	1358	0	1925	12285	40373
25.6	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (मुख्या.) (B) Bank of Maharashtra(HQ)	8621	0	4630	3351	0	54270	1417	0
25.6.1	(क) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (A) Bank of Maharashtra	17058	0	42167	28720	0	89677	7428	0
25.6.2	(ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (B) Bank of Maharashtra	48921	0	74974	45885	0	400700	24452	0
25.6.3	(ग) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (C) Bank of Maharashtra	9808	0	9299	5053	0	31430	21284	0
25.7	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या.) (A) NABARD (HQ)	4727	0	9114	4158	0	0	1544	22943
25.7.1	(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (A) NABARD	1103	0	15497	6940	0	0	3192	65037
25.7.2	(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (B) NABARD	258	0	4634	2836	0	0	595	11202
25.7.3	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (C) NABARD	914	0	6616	3398	0	0	8410	25779

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	756	756	756	106	102	0	0	4
0	0	0	0	0	8310	8310	8310	106	102	1	3	1494
0	0	0	0	0	3012	3012	3012	106	102	0	0	2104
0	0	0	0	0	7870	7870	7870	106	102	0	0	4824
77	100	100	0	100	1574	1574	1574	1606	997	0	609	4
3666	100	100	0	100	18297	18297	18297	1352	1108	0	244	120
3390	100	100	0	100	15033	15033	15033	2580	1811	0	769	80
2390	100	100	0	100	13239	13239	13239	1271	1271	0	0	84
12	100	100	12	100	112	112	112	33	32	0	1	4
4	4	4	4	100	276	276	276	33	32	0	1	112
8	8	8	8	100	400	400	400	33	32	0	1	104
5	5	5	5	100	230	230	230	33	32	0	1	252
9	100	100	9	100	339	339	339	601	601	0	0	92
678	100	100	0	100	2031	2031	2031	601	601	0	0	2668
2310	100	100	0	100	7175	7175	7175	601	601	0	0	5324
541	100	100	0	100	1779	1779	1779	601	601	0	0	2148
31	100	100	0	100	1521	1521	1521	102	75	25	2	4
19	100	100	0	100	1430	1430	1430	285	283	2	0	4
15	100	100	0	100	444	444	444	45	45	0	0	4
26	77	77	6	77	1444	1444	1444	244	243	1	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.8	(क) पंजाब नेशनल बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab National Bank(HQ)	4512	0	665987	639494	0	26356	32997	0
25.8.1	(क) पंजाब नेशनल बैंक (A) Punjab National Bank	78851	0	1497745	1340990	0	4361631	15803	0
25.8.2	(ख) पंजाब नेशनल बैंक (B) Punjab National Bank	18585	0	660975	541871	0	1878743	29213	0
25.8.3	(ग) पंजाब नेशनल बैंक (C) Punjab National Bank	31289	0	298805	195198	0	1220075	281035	0
25.9	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) (A) Punjab & Sind Bank (HQ)	1843	0	25507	23035	0	165175	3813	0
25.9.1	(क) पंजाब एंड सिंध बैंक (A) Punjab & Sind Bank	13789	0	117390	108884	0	372030	12220	0
25.9.2	(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक (B) Punjab & Sind Bank	5518	0	66728	59936	0	366578	22343	0
25.9.3	(ग) पंजाब एंड सिंध बैंक (C) Punjab & Sind Bank	1795	0	7031	6844	0	41000	20284	0
25.10.	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) (B) IDBI (HQ)	198	0	404	323	0	448	10	1368
25.10.1	(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (A) IDBI	559	0	839	496	0	244	952	19010
25.10.2	(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (B) IDBI	1354	0	2733	2240	0	6422	2589	41913
25.10.3	(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (C) IDBI	582	0	2540	1358	0	1925	12285	40373
25.11	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय) (B) Bank of Baroda (HQ)	5135	0	716835	671042	0	30805660	1397289	392653
25.11.1	(क) बैंक ऑफ बड़ौदा (A) Bank of Baroda	117874	0	3892563	3862679	0	11793457	57638	78295
25.11.2	(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा (B) Bank of Baroda	98537	0	3057824	2999687	0	11289375	119784	242193
25.11.3	(ग) बैंक ऑफ बड़ौदा (C) Bank of Baroda	23856	0	578968	552674	0	5749627	640514	3039118
25.12	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) (A) Union Bank of India (HQ)	2724	0	88699	6967	0	193439	15564	167624
25.12.1	(क) यूनियन बैंक आफ इंडिया (A) Union Bank of India	17201	0	333713	221583	0	518967	13708	127721
25.12.2	(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया (B) Union Bank of India	7036	0	91583	56852	0	138926	20153	85941
25.12.3	(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया (C) Union Bank of India	15757	0	110611	39198	0	114087	261356	414219

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14	100	100	0	100	2642	2642	2642	2052	2052	0	0	4
13795	100	100	0	100	36613	36613	36613	2052	2052	0	0	306
6654	100	100	0	100	18652	18652	18652	2052	2052	0	0	144
7052	100	100	0	100	20882	20882	20882	2052	2052	0	0	192
0	0	0	0	0	762	762	762	139	131	0	8	96
0	0	0	0	0	4482	4482	4482	55	37	0	18	2496
0	0	0	0	0	3742	3742	3742	49	37	0	12	2904
0	0	0	0	0	948	948	948	39	37	0	2	536
12	100	100	12	100	112	112	112	33	32	0	1	4
4	4	4	4	100	276	276	276	33	32	0	1	112
8	8	8	8	100	400	400	400	33	32	0	1	104
5	5	5	5	100	230	230	230	33	32	0	1	252
119	119	119	119	100	2788	2788	2788	341	341	0	0	4
8710	8710	8710	8710	100	24731	24731	24731	369	369	0	0	268
8781	8781	8781	8781	100	21875	21875	21875	357	357	0	0	220
7224	7224	7224	7224	100	18616	18616	18616	346	346	0	0	176
62	62	62	62	100	2908	2908	2908	327	285	0	42	4
7358	7358	7358	7358	100	19141	19141	1941	461	326	0	135	10592
4718	4718	4718	4718	100	14088	14088	14088	406	326	0	80	6808
12692	12283	12283	12692	97	30627	30627	30627	633	418	0	215	17332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.13	(ग) इंडियन बैंक (मुख्यालय) (C) Indian Bank (HQ)	2229	0	5616	5616	0	27390	8814	111809
25.13.1	(क) इंडियन बैंक (A) Indian Bank	2543	0	72351	72351	0	25543	38267	41315
25.13.2	(ख) इंडियन बैंक (B) Indian Bank	1123	0	13031	13031	0	66329	8434	13731
25.13.3	(ग) इंडियन बैंक (C) Indian Bank	3243	0	6563	6563	0	177403	52382	21251
25.14	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (मुख्यालय) (A) National Housing Bank	222	0	651	333	0	0	7	5439
25.14.1	(क) राष्ट्रीय आवास बैंक (A) National Housing Bank (HQ)	5	0	113	2	0	0	1	344
25.14.2	(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (B) National Housing Bank	4	0	86	25	0	0	36	593
25.14.3	(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (C) National Housing Bank	5	0	81	0	0	0	38	158
25.15	(क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) The Oriental Insurance Co. Ltd (Hq.)	94	0	4285	4204	0	18770	925	27
25.15.1	(क) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) The Oriental Insurance Co. Ltd	1090	0	22011	21159	0	53182	5130	4269
25.15.2	(ख) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) The Oriental Insurance Co. Ltd	1724	0	21427	18538	0	33323	5425	0
25.15.3	(ग) दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) The Oriental Insurance Co. Ltd	461	0	1964	1548	0	9763	9343	184
25.16	(ग) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुख्यालय) (C) United India Insurance Co. Ltd. (HQ)	31	0	68	68	0	0	406	670
25.16.1	(क) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (A) United India Insurance Co. Ltd.	253	0	4503	4183	0	8831	0	15747
25.16.2	(ख) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (B) United India Insurance Co. Ltd.	48	0	1001	956	0	761	663	6532

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
32	100	100	0	100	730	730	730	303	289	3	11	4
0	0	0	0	0	14858	14858	14858	283	255	0	28	140
0	0	0	0	0	6782	6782	6782	266	248	0	18	48
0	0	0	0	0	29334	19334	19334	296	268	4	24	217
0	0	0	0	0	310	310	310	153	152	0	1	4
0	0	0	0	0	23	23	23	153	152	0	1	20
0	0	0	0	0	53	53	53	153	152	0	1	12
0	0	0	0	0	38	38	38	153	152	0	1	24
50	50	50	50	95	0	0	0	88	84	0	4	4
905	905	905	905	96	0	0	0	105	97	0	8	542
584	22	604	604	82	0	0	0	97	93	0	4	624
492	36	456	36	51	0	0	0	88	80	0	8	574
0	0	0	0	0	696	696	696	47	44	0	3	4
0	0	0	0	0	1904	1904	1904	46	44	0	2	4
0	0	0	0	0	1881	1881	1881	47	44	0	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.16.3	(ग) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (C) United India Insurance Co. Ltd.	196	0	283	175	0	0	3761	4972
25.17	(क) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd. (HQ)	85	0	399	262	0	1140	0	0
25.17.1	(क) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (A) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	141	0	4722	3410	0	8313	11362	0
25.17.2	(ख) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (B) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	0	0	768	160	0	21611	938	0
25.17.3	(ग) एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (C) Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	33	0	98	44	0	1635	2225	0
25.20.	(क) इंडियन ओवरसीज बैंक(मु०) /IOB (Hqt.)	1804	0	1285	1277	0	1277	288	46975
25.20.1	(क) इंडियन ओवरसीज बैंक /IOB	4989	0	42204	41896	0	205131	11213	192978
25.20.2	(ख) इंडियन ओवरसीज बैंक /IOB	1549	0	22351	22258	0	115421	101452	15892
25.20.3	(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक /IOB	6245	0	5429	5401	0	588413	238124	378457
25.21	भारतीय रिजर्व बैंक (मुख्यालय) Reserve Bank of India(HQ)	5453	0	6873	2757	0	6783	1355	33870
25.22	केनरा बैंक (मुख्यालय) Canara Bank (HQ)	4558	0	13373	9473	0	69793	12424	7755
25.22.1	(क) केनरा बैंक (A) Canara Bank	344639	0	677586	398322	0	939888	347591	241950
25.22.2	(ख) केनरा बैंक (B) Canara Bank	80120	0	130830	76012	0	506874	137770	56321
25.22.3	(ग) केनरा बैंक (C) Canara Bank	350937	0	638801	358659	0	2232022	1500052	247997
25.23	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मुख्यालय) (A) Central Bank of India (HQ)	1228	0	40478	18906	0	382581	32428	255054
25.23.1	(क) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (A) Central Bank of India	8641	0	188051	1199198	0	2141269	81194	1427513
25.23.2	(ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (B) Central Bank of India	4753	0	370177	191313	0	1900904	124446	2025350
25.23.3	(ग) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (C) Central Bank of India	5238	0	240719	182280	0	454405	339677	302936

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	2670	2670	2670	46	44	0	2	4
0	0	0	0	0	115	115	115	6	5	0	1	4
0	0	0	0	0	71	71	71	5	5	0	0	32
0	0	0	0	0	20	20	20	5	5	0	0	8
0	0	0	0	0	71	71	71	5	5	0	0	32
19	89	89	0	89	789	789	789	481	475	0	6	4
131	100	100	0	100	7334	7334	7334	539	475	0	64	48
124	90	90	0	90	3598	3598	3598	500	472	0	28	28
359	81	81	70	81	10501	10501	10501	603	475	0	128	128
393	100	100	393	100	7109	7109	7109	174	165	9	0	4
0	0	0	0	0	5372	5372	5372	2167	2163	0	4	4
0	0	0	0	0	19793	19793	19793	3167	2163	0	4	32
0	0	0	0	0	8956	8956	8956	2167	2163	0	4	16
0	0	0	0	0	39152	39152	39152	2168	2163	0	4	56
3	67	67	1	67	1062	1062	1062	38	38	0	0	4
3	67	67	1	67	13768	13740	13740	38	38	0	0	2015
3	67	67	1	67	9498	9462	9462	38	38	0	0	1132
3	67	67	1	67	8571	8510	8510	38	38	0	0	1273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Health & Family Welfare (HQ)	4220	4220	6568	4931	0	60260	11351	0
27	(क) आयुष मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of AYUSH (HQ)	2389	0	4280	3761	0	9573	2583	6990
27.1	(क) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of AYUSH	8504	0	19387	14906	0	30999	19155	30999
27.2	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of AYUSH	490	0	666	666	0	820	556	264
27.3	(ग) आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of AYUSH	6704	0	283	131	0	781	6495	2030
28	(क) संसदीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Parliamentary Affairs	293	0	4896	2883	0	1501	0	183
29	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Information & Broadcasting (HQ)	3590	0	5135	4066	0	14809	6371	0
29.1	(क) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	95567	0	112892	101037	0	321376	48374	52873
29.2	(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	43657	0	52456	41097	0	62327	13405	8471
29.3	(ग) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Information & Broadcasting	90164	0	74379	54721	0	95320	35320	7598
30	(क) मंत्रिमंडल सचिवालय (A) Cabinet Secretariat	5087	0	6976	6267	0	18522	23606	42128
31	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Food Processing Industries (Hq.)	1508	0	562	380	0	2505	2355	2505
31.1	(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (A) Ministry of Food Processing Industries	203	0	479	449	0	2417	282	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
67	67	67	0	100	1600	1600	1600	65	65	0	0	4
25	52	52	12	52	381	381	381	4	4	0	0	4
134	79	79	28	79	1307	1307	0	223	208	15	0	37
7	100	100	0	100	12	12	12	20	20	0	0	3
81	21	21	64	21	607	607	607	142	125	17	0	18
15	67	67	15	67	120	120	120	14	14	0	0	4
40	100	100	40	100	385	385	385	3	3	0	0	4
489	77	77	245	77	4879	4854	4844	1348	1111	116	90	42
164	80	80	65	80	2153	2153	2153	480	480	0	0	24
314	61	61	126	61	3043	2989	2929	246	246	0	0	8
23	35	35	8	35	408	405	405	34	34	0	0	3
24	6	6	18	25	195	195	195	15	15	0	0	4
6	6	6	6	52	76	76	76	29	29	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.2	(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Food Processing Industries	94	69	37	22	0	36	1973	0
32	(क) भारी उद्योग मंत्रालय (मु.) (A) M/o Heavy Industries (HQ.)	7241	0	2601	2601	0	11479	2155	0
32.1	(क) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Heavy Industries	14349	496	5776	5481	7	94217	5133	1425
32.2	(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Heavy Industries	28	0	41	13	0	41	0	41
32.3	(ग) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Heavy Industries	9496	3634	318	253	0	869	1083	844
33	(क) लोक उद्यम विभाग(मु.), वित्त मंत्रालय (A) D/o Public Enterprises, M/o Finance	289	0	946	338	0	0	3858	8618
34	(क) इस्पात मंत्रालय (A) Ministry of Steel	1150	0	5671	4162	0	11763	1493	0
34.1	(क) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Steel	43014	0	40598	28879	0	184936	3553	79442
34.2	(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Steel	1567	0	2450	1487	0	2629	3194	85806
34.3	(ग) इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Steel	10007	0	6807	3927	0	10608	19479	130332
35	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of New and Renewable Energy (HQ)	847	0	229	201	0	0	674	2702
35.1	(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o New and Renewable Energy	713	0	1032	686	0	6383	905	0
35.2	(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o New and Renewable Energy	286	0	35	26	0	478	55	478

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	0	0	5	5	105	105	105	136	57	76	61	4
18	100	100	18	100	171	171	171	44	44	0	0	2
103	69	69	31	69	1263	1175	1025	1262	666	488	105	24
22	22	22	22	100	428	428	428	33	30	3	0	4
41	56	56	23	56	689	559	373	198	177	21	0	21
12	12	12	0	100	129	40	40	15	15	0	0	1
8	5	5	3	63	311	311	311	22	22	0	0	4
738	718	718	588	97	8002	8002	8002	7316	5161	66	2089	125
28	26	26	11	93	417	417	417	524	524	0	0	40
165	142	142	97	86	2330	2330	2330	2622	2655	28	5	86
33	24	24	9	72	379	379	379	21	21	0	0	4
27	27	27	27	100	520	520	520	125	520	0	1	8
0	0	0	0	0	56	56	56	19	19	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.3	(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o New and Renewable Energy	208	0	33	33	0	1039	1039	1194
36	(क) विद्युत मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Power (HQ.)	3011	0	13995	2539	0	13995	6299	13995
36.1	(क) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Power	17081	0	72763	52823	0	282741	6128	45416
36.2	(ख) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Power	28	0	17298	15206	0	38225	38130	95
36.3	(ग) विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Power	3352	0	1277	632	0	6096	2508	9879
37	(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	10064	0	7294	4507	0	49967	17421	0
37.1	(क) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (A) M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare	8003	13	15215	5188	0	44136	8063	1168
37.2	(ख) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (B) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	103	0	470	262	0	5568	899	1074
37.3	(ग) कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय (C) M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare	1901	630	836	243	0	1671	2184	4338
38	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	4	0	379	346	0	5797	713	0
38.1	(क) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (A) Department of Agricultural Research & Education	8780	0	15198	11290	0	16189	9690	0
38.2	(ख) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (B) Department of Agricultural Research & Education	4491	0	5715	5715	0	7689	3146	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	0	1	10	87	87	87	30	41	1	0	4
48	60	60	0	60	263	263	263	80	80	0	0	4
236	99	99	100	99	6438	6438	6438	685505	804	684698	22	52
55	100	100	0	100	136	136	136	29	29	0	0	4
158	90	90	142	90	960	960	960	157	157	0	0	12
244	87	87	212	87	1000	1000	1000	134	134	0	0	4
106	87	87	51	87	549	549	549	817	815	2	0	24
4	25	25	1	25	26	26	25	23	23	0	0	8
33	85	85	30	85	206	212	194	4668	187	3902	563	20
7	4	4	3	57	30	30	30	27	27	0	0	4
1147	69	69	551	69	9799	9799	9799	208	107	17	84	246
612	57	57	266	57	4770	4770	4770	101	80	9	12	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.3	(ग) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (C) Department of Agricultural Research & Education	4234	0	3851	3850	0	8804	5143	3
39	मत्स्य पालन विभाग / Department of Fishries	1424	0	285	161	0	2269	893	0
40	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (मुख्यालय) (A) D/o Animal Husbandary and Dairying (HQ)	998	0	786	651	0	4437	687	0
40.1	(क) पशु-पालन और डेयरी विभाग (A) D/o Animal Husbandary and Dairying	2811	15	11226	4925	0	10725	4194	0
40.2	(ख) पशु-पालन और डेयरी विभाग (B) D/o Animal Husbandary and Dairying	1027	0	3549	2596	0	21923	3929	0
40.3	(ग) पशु-पालन और डेयरी विभाग (C) D/o Animal Husbandary and Dairying	3945	0	1629	400	5	7301	2135	0
41	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (A) M/o. Statistics & Programme Implementation	43490	0	52698	18337	0	113325	9899	113325
41.1	(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	24944	0	108842	35173	0	163917	3547	412
41.2	(ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	13636	0	22683	4973	0	57965	2008	89
41.3	(ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under the M/o. Statistics & Programme Implementation	3932	0	17107	3143	0	26512	14737	0
42	(क) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (मु.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (A) Department of Indian Accounts & Audit (HQ) Office of the Comptroller & Auditor General of India	636	0	25834	12816	0	83829	4212	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1076	93	93	641	93	8137	8137	7863	103	74	16	13	128
2	2	2	2	100	79	79	79	11	11	0	0	4
16	69	69	5	69	311	311	311	24	23	0	1	4
33	88	88	4	88	198	192	192	64	64	0	0	42
65	83	83	11	83	602	602	602	146	146	0	0	23
17	53	53	8	53	107	97	97	42	42	0	0	43
59	54	54	59	92	939	939	939	30	30	0	0	3
98	94	94	94	96	1154	1154	1154	99	99	0	0	95
44	44	44	44	100	562	562	562	118	118	0	0	45
81	60	60	81	74	12	12	12	154	154	0	0	101
110	100	100	0	100	2070	1840	2070	16	12	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.1	(क) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	27989	0	760239	367099	257	791741	20376	0
42.2	(ख) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	20038	94	100690	54544	18	527505	30629	0
42.3	(ग) नियंत्रक एवं महा. परीक्षक का कार्यालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under the Comptroller & Auditor General of India	27989	3009	760239	367099	257	791741	20376	0
43	(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Ports, Shipping and Waterways (HQ)	1771	0	1382	786	0	9169	8295	0
43.1	(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	4644	0	8495	8612	2	10225	1922	0
43.2	(ख) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	23827	0	16903	13437	0	61583	22853	643
43.3	(ग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways	12233	205	3245	4473	0	24610	26075	5800
44	(क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (A) Ministry of Road Transport & Highways	2653	0	1327	1196	0	17828	2221	0
46	(क) नागर विमानन मंत्रालय (मुख्यालय) (A) Ministry of Civil Aviation (HQ)	1320	0	3055	2532	0	19735	2352	1320
46.1	(क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Civil Aviation	17461	0	12839	10640	0	156668	17320	17461
47	(क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसा. एवं पेट्रो-रसायन विभाग (A) M/o Chem. & Fertilizers, D/o Chemicals & Petro- Chemicals	205	0	652	448	0	19185	7724	0
47.1	(क) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (A) Offices under D/o Chemicals & Petro- Chemicals	323	0	600	600	0	3168	83	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1030	79	79	217	79	18354	17965	17965	0	0	0	0	261
432	65	65	0	65	7787	7675	7675	750	713	37	0	99
432	72	72	217	72	13900	12477	12477	2071	1813	23	0	315
15	6	6	9	40	330	330	330	141	141	0	0	4
35	22	22	13	63	390	390	287	110	110	0	0	11
435	420	420	15	97	2338	2338	2287	867	832	1	34	31
573	471	471	102	82	5065	4415	4354	1049	931	109	9	40
27	15	15	12	55	580	580	580	70	70	0	0	4
17	41	41	10	41	265	265	265	36	36	0	0	4
253	99	99	3	99	3553	3553	3553	685	685	0	0	38
15	67	67	2	67	160	160	160	12	12	0	0	4
5	4	4	1	80	117	117	117	97	95	0	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.2	(ख) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (B) Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals	872	0	616	616	0	1787	88	0
47.3	(ग) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यालय (C) Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals	1513	0	2094	1020	0	873	5417	4148
48	(क) उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chem. & Fertilizers	459	0	1540	894	0	3164	3511	536
48.1	(क) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Fertilizers	8770	0	73140	8024	0	40060	925	4278
48.2	(ख) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Fertilizers	36510	0	2448	1845	21	25507	1127	32
48.3	(ग) उर्वरक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Fertilizers	4478	0	1130	679	0	2409	1061	2031
49	(क) औषध विभाग (A) Department of Pharmaceuticals	1571	0	1124	363	0	3983	3074	3983
49.1	(क) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Department of Pharmaceuticals	1385	0	183	91	0	483	570	376
49.2	(ख) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Department of Pharmaceuticals	832	17	123	122	0	11972	1095	29
49.3	(ग) औषध विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Department of Pharmaceuticals	2623	359	166	91	19	185	2533	1079
50	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt. Ministry of Defence	23065	0	4096	2932	0	447714	19517	447714

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40	31	31	9	78	98	98	98	100	100	0	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	99	98	0	1	11
50	45	45	5	90	270	270	270	63	63	0	0	2
30	30	30	6	100	1361	1361	1361	256	256	0	0	39
37	37	37	24	100	1853	1727	1727	185	185	0	0	16
3	3	3	3	100	1064	1064	1064	384	384	0	0	20
4	0	0	4	0	131	131	131	19	19	0	0	9
15	11	11	7	73	161	161	161	18	18	0	0	5
52	83	83	52	83	1275	1260	1142	10268	101	8226	1941	12
13	38	38	13	38	551	448	545	128	98	22	8	20
139	72	72	67	52	1500	1500	1500	46	46	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.1	(क) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (A) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	182298	0	555813	516276	0	1704026	479521	254268
50.2	(ख) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (B) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt., Ministry of Defence	107259	0	110964	79122	0	659994	307556	49683
50.3	(ग) रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (C) Deptt. of Defence, Deptt. of Defence Research & Develop. and Ex. Servicemen welfare Deptt.,	145966	0	117933	100848	0	450855	337784	143453
51	(क) रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) (A) Deptt. Of Defence Production (Secretariat)	431	0	567	314	0	3352	952	3352
51.1	(क) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under Deptt. of Defence Production	35322	211	30588	26191	0	172486	27909	18336
51.2	(ख) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under Deptt. of Defence Production	20363	0	10877	8638	0	61584	7986	37245
51.3	(ग) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under Deptt. of Defence Production	79821	0	26050	19212	0	184075	71571	128817
52	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	1176	0	1010	824	0	122203	6102	1945
52.1	(क) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (A) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	11499	1745	14715	12886	77	93918	32973	15490
52.2	(ख) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (B) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	2282	52	24974	19261	0	13748	16959	418784
52.3	(ग) वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (C) Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce	30630	87	6269	1873	0	13366	41025	50575
53	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मुख्यालय) (A) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (HO)	1209	0	6115	4927	0	30307	11066	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4972	3840	3840	2203	77	22045	21923	21923	9449	9449	0	0	415
2745	57	57	2509	57	27653	27602	27602	962	962	0	0	140
2380	56	56	2231	56	25589	25473	25473	2582	2555	0	0	329
7	86	86	6	86	172	172	172	30	30	0	0	4
493	95	95	259	95	10188	10168	10168	936	623	16	0	96
248	100	100	244	100	5870	5870	5870	707	697	0	1	78
1796	86	86	1157	86	31968	30991	30991	2908	1685	36	36	234
169	83	83	93	83	650	650	650	47	47	0	0	4
102	77	77	69	77	1957	1956	1957	604	526	2	7	28
4	100	100	4	100	551	551	551	166	163	1	1	15
86	72	72	82	72	695	664	663	297	278	6	11	22
61	22	22	39	36	694	694	694	200	200	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.1	(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	4555	0	5735	3715	0	20764	4409	0
53.2	(ख) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (B) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	5789	0	1759	1382	0	555692	262726	0
53.3	(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Office under Department for Promotion of Industry and Internal Trade	104	0	9	2	0	172	1074	0
54	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology	2890	0	1057	789	0	2610	859	2610
54.1	(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Science & Technology	6437	0	25985	13032	0	25377	2395	106397
54.2	(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Science & Technology	9524	0	931	739	0	3296	1193	2284
54.3	(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Science & Technology	6773	0	646	477	0	12835	13516	10895
55	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	1351	0	845	682	0	7421	1603	7421
55.1	(क) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	2806	0	1427	1427	0	512	287	4848
55.2	(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	1481	0	935	745	0	505	775	1590
55.3	(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (C) D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology	718	0	327	177	0	79	805	416
57	(क) वस्त्र मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Textiles (HQ)	1506	0	1762	1525	0	9825	4646	0
57.1	(क) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices of M/o Textiles	1715	0	10501	7490	0	38656	3827	635
57.2	(ख) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices of M/o Textiles	3444	0	7847	6099	0	37542	6341	2438

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36	32	32	21	89	1422	1422	1422	177	170	5	2	35
25	10	10	15	40	684	684	684	388	388	0	0	15
1	100	100	0	100	256	256	256	44	42	2	0	1
39	56	56	33	56	650	650	650	25	24	0	0	4
88	98	98	46	98	1160	1160	1160	679	675	3	1	32
6	33	33	5	33	430	430	430	94	94	0	0	18
60	100	100	43	100	1549	1549	1549	282	277	5	0	42
4	4	4	4	100	383	383	383	22	22	0	0	4
14	12	12	2	86	1512	1512	1512	111	111	0	0	23
4	2	2	2	50	660	460	200	60	55	5	0	12
3	2	2	1	67	410	230	230	18	0	18	0	18
65	26	26	48	26	242	242	242	5	5	0	0	4
117	92	92	9	92	496	496	496	203	194	0	9	20
85	98	98	2	98	502	502	502	206	205	0	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	(ग) वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices of M/o Textiles	10006	1218	3310	2212	0	7370	11474	21739
58	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Housing & Urban Affairs	851	0	1586	1163	0	5149	887	0
58.1	(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Housing & Urban Affairs	16857	364	38040	28692	217	102492	11865	58556

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60	55	55	27	55	434	434	434	129	112	10	7	16
81	72	72	9	89	695	695	695	57	57	0	0	4
632	87	87	465	87	4689	4689	4689	828	809	0	0	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.2	(ग) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (C) Ministry of Housing & Urban Affairs	50	0	501	253	0	1860	508	1250
59	(क) दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) D/o Telecom. M/o Communications & Information Tech.	9655	2591	2284	1704	106	8836	14998	0
59.1	(क) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Telecommunications	16552	9917	22296	17094	356	54267	32072	18548
59.2	(ग) दूरसंचार विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Telecommunications	409	273	429	104	0	1781	946	1772
60	(क) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (A) M/o Electronics & Information Technology,	185	0	311	284	0	1045	543	252
60.1	(क) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Electronics & Information Tech.	6336	0	3031	2409	0	116759	13585	1533
60.2	(ख) इलेक्ट्रॉ. एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Electronics & Information Tech.	619	0	150	51	0	1233	136	203
61	(क) डाक विभाग (मु.) (A) Deptt. of Posts (HQ)	345	0	1544	1507	0	5205	589	5205
61.1	(क) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under D/o Posts	17986	6369	374366	333173	905	311854	53470	68922
61.2	(ख) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (B) Offices under D/o Posts	611	222	3339	2799	24	33616	18661	1830
61.3	(ग) डाक विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under D/o Posts	41366	24930	1647	1488	105	12576	58917	24013
62	(क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मु.) (A) M/o Labour & Employment (HQ)	2630	0	1274	865	0	5744	2623	5744
62.1	(क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Labour & Employment	33468	0	501087	373673	0	1391721	40284	96779
62.2	(ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Labour & Employment	24744	0	154999	99966	0	473598	78099	24740
62.3	(ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Labour & Employment	27685	0	20767	13279	0	296960	775009	1433959
63	(क) संघ लोक सेवा आयोग (A) Union Public Service Commission	3366	0	12408	7250	0	1991854	38264	3363

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	6	6	21	35	50	50	50	56	55	1	0	4
311	100	100	311	100	2352	353	2352	353	353	0	0	3
625	100	100	25	100	3781	3743	3746	515	477	21	0	29
0	0	0	0	0	261	261	261	94	94	16	0	4
43	43	43	35	100	1363	1363	1363	107	107	0	0	4
145	97	97	145	97	1451	1451	1451	247	247	0	0	14
11	100	100	11	100	789	789	789	74	70	0	4	7
48	58	58	20	58	700	700	700	163	163	0	0	4
271	94	94	234	94	2849	2786	2786	6964	6706	103	268	83
20	75	75	18	75	578	578	578	120	120	0	0	12
296	55	55	294	55	6775	6775	6775	822	822	0	0	32
45	36	36	29	36	291	291	291	52	52	0	0	4
2221	73	73	1322	73	5972	5957	5916	521	494	13	8	216
848	79	79	349	79	3984	3984	3933	189	179	0	31	96
1421	37	37	1101	37	6878	6878	6840	81	74	0	7	304
129	97	97	125	75	1100	1100	1100	102	102	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (A) M/o of Rural Development, Deptt. of Rural Development	5444	0	16020	14007	0	20213	2358	0
64.1	(क) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (A) Offices under ,Deptt. of Rural Development	516	0	191	180	8	2843	116	26
64.2	(ग) ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यालय (C) Offices under,Deptt. of Rural Development	1338	0	136	94	0	1891	3459	0
65	(क) भूमि संसाधन विभाग (A) Deptt. of Land Resources	168	0	1423	1263	0	7316	1394	0
66	(क) पर्यटन मंत्रालय (A) Ministry of Tourism	3990	0	1253	767	0	7206	3949	7206
66.1	(क) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under M/o Tourism	2967	0	3632	2779	0	11178	8622	2556
66.2	(ख) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under M/o Tourism	1417	0	932	434	0	3890	342	3548
66.3	(ग) पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under M/o Tourism	5379	0	452	226	0	1875	5573	1514
67	(क) संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) (A) Ministry of Culture (HQ)	4240	0	2666	3178	0	18668	7460	4240
67.1	(क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Culture	13199	0	27620	21284	0	66661	16514	13586
67.2	(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Culture	1527	0	2075	856	0	2056	1232	1529
67.3	(ग) संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Culture	7266	0	7506	2157	0	22953	16009	12058
68	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Tribal Affairs	5020	0	3674	2951	0	8889	5958	4786
68.1	(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Tribal Affairs	359	0	5850	4170	0	8060	1515	2367
69	(क) भारत निर्वाचन आयोग (A) Election Commission of India	2436	0	44868	39161	7	27671	13585	27671
70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (A) Panchayati Raj Mantralaya	471	0	1646	1469	0	2457	2386	2457
71	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	1299	0	1625	1348	0	6004	1155	1448
71.1	(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (A) Ministry of Youth Affairs & Sports	7826	0	10519	8457	0	31108	3155	2113
72	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (A) Ministry of North Eastern Region Development	1231	0	489	404	0	3496	1154	3496

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	107	107	112	95	650	650	650	31	31	0	0	4
38	38	38	38	82	100	100	100	8	8	0	0	8
44	28	28	44	63	379	379	379	2059	1344	649	76	3
6	3	3	6	50	135	135	135	16	16	0	0	4
49	31	31	18	63	232	232	232	34	34	0	0	4
100	47	47	53	47	562	559	559	73	47	0	43	24
21	21	21	0	100	209	209	209	41	39	0	2	11
43	30	30	13	70	365	220	220	4478	4118	0	58	20
63	37	37	26	59	353	353	353	43	42	0	1	4
237	172	172	65	73	3096	3049	2938	954	947	2	5	4
18	33	33	12	33	36	32	32	23	23	0	0	4
267	61	61	103	61	1265	999	1003	317	185	126	6	4
13	31	31	10	31	113	113	113	47	47	0	0	4
26	73	73	14	73	278	278	278	37	37	0	0	9
300	242	242	58	81	985	985	985	54	28	26	0	2
8	6	6	2	75	164	164	164	26	26	0	0	2
64	84	84	22	84	337	337	337	15	15	0	0	4
70	96	96	62	96	832	832	832	72	72	0	0	12
18	10	8	8	63	138	138	138	17	17	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.1	(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (C) Ministry of North Eastern Region	395	0	155	134	0	5456	14536	3868
73	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मु. (A) Ministry of Minority Affairs	566	0	1342	919	0	10341	2866	0
73.1	(क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	358	2	3576	3022	0	6676	2872	49
74	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	561	0	1338	1166	0	9638	964	0
74.1	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (A) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	1735	0	2280	1693	0	15087	2112	0
74.2	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय	190	0	4140	2927	0	15392	3762	0
74.3	(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise	342	0	419	404	0	8677	3129	9038
75	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मु.) (A) Ministry of Petroleum & Natural Gas (HQ)	3103	0	4598	3784	0	12220	1248	0
75.1	(क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	26283	0	252076	186693	0	4135318	244506	18595
75.2	(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	25306	0	224266	239170	0	4526830	219274	10160
75.3	(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas	18981	0	91493	61645	204	1430285	517541	38807
76	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (A) Ministry of Corporate Affairs	12367	0	4120	2825	0	41378	4487	36891
76.1	(क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (A) Offices under Ministry of Corporate Affairs	1221	0	6570	6570	0	37206	8670	28536
76.2	(ख) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (B) Offices under Ministry of Corporate Affairs	321	0	1406	1330	0	1712	568	0
76.3	(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यालय (C) Offices under Ministry of Corporate Affairs	572	0	1576	1428	0	1504	959	545

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	4	4	6	34	317	317	317	22	22	0	0	16
20	40	40	20	40	54	54	54	13	13	0	0	4
18	94	94	7	94	193	193	186	67	52	14	13	12
17	24	24	13	24	182	182	182	20	20	0	0	4
46	83	83	8	83	327	327	327	176	176	0	0	8
38	97	97	1	97	727	699	699	31	31	0	0	8
15	100	100	15	100	344	344	344	138	89	49	0	8
30	100	100	30	100	255	255	255	57	57	0	0	4
336	100	100	336	100	16894	16894	16894	1200	1197	2	3	4
720	100	100	720	100	25869	25869	25869	1137	1136	0	6	4
676	100	100	393	100	24672	23872	23872	1579	1576	1	3	4
23	23	23	23	100	310	310	310	270	270	0	0	4
17	13	13	16	76	210	210	210	213	213	0	0	4
10	8	8	9	80	35	35	35	214	214	0	0	4
8	6	6	4	75	40	40	40	214	214	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मृ.) Ministry of Women and child Development	3923	0	1664	1396	0	7668	974	6694
77.1	(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and child Development	2963	0	27744	26735	0	38782	6849	12214
78	पेयजल और स्वच्छता विभाग (A)Department of Drinking Water and Sanitatin	1719	0	4013	3461	0	20192	3676	1189
79	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (A) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1293	0	6818	6233	0	11934	3871	11934
79.1	(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (B) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	6173	0	10224	7409	0	38623	16729	38623
79.2	(ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (B) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	196	0	618	417	0	2594	2413	2594
79.3	(ग) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (C) Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1958	0	422	376	0	3296	2635	3296
80	(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (A) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	9274	0	3094	2675	0	7909	1787	7909

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	100	100	0	100	490	490	490	52	52	0	0	4
2	100	100	2	100	492	492	414	103	96	6	1	15
32	75	75	8	75	230	230	230	42	42	0	0	4
3	2	2	2	67	210	210	210	18	18	0	0	4
78	47	47	78	47	650	650	616	202	202	0	0	16
21	100	100	17	100	120	120	120	112	112	0	0	4
18	2	2	17	11	403	403	403	231	231	0	0	9
9	9	9	5	56	170	170	170	60	60	0	0	4

CHAPTER-2
PART-B

**Assessment of the implementation of the Official Language Policy
in Ministries/Departments /Offices etc. during the year 2023-24**

Ministries/Departments/ Offices which have violated the Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963			Ministries/Departments/ Offices which have violated Rule-5 of Official Language Rules, 1976		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Ministries/Departments/ Offices
1.	9.1	Offices under D/o Consumer Affairs region A	1.	9.1	Offices under D/o Consumer Affairs region A
2.	10.1 to 10.3	Offices under M/o of Home Affairs region A to C	2.	10.1& 10.3	Offices under M/o Home Affairs region A&C
3.	26	Offices under M/o of Ministry of Health & Family Welfare (HQ)	3.	18.3	Offices under Ministry of External Affairs, region 'C'
4.	31.2	Offices under M/o Food Processing Industries region 'C'	4.	20.1	Office Under Deptt. to Legal Affairs region 'A'
5	32.1 & 32.3	Offices under M/o Heavy Industries region 'A' & 'C'	5.	32.1	Offices under Ministry of Heavy Industries region 'A'
6.	37.1 & 37.3	Offices under M/o Agriculture, Co-operation and Farmer Welfare Region 'A' & 'C'	6.	40.3	Offices under Department of Ministry of Animal Husbandry and Dairying, region 'C'
7	40.1	D/o Animal Husbandry and Dairying region 'A'	7.	42.1 to 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region 'A' to 'C'
8.	42.2 & 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region 'B' & 'C'	8.	43.1	Offices under the M/o of Ports, Shipping and Waterways region 'A'
9.	43.3	Offices under Ministry of Ports, Shipping and Waterways region 'C'	9.	48.1	Offices under Deptt. of Fertilizers region 'A'
			10.	49.3	Offices under Department of Pharmaceuticals region 'C'
10.	49.2 & 49.3	Offices under Department of Pharmaceuticals region 'B' to 'C'	11.	52.1	Deptt. of Commerce under M/o Commerce & Industries region 'A'
			12.	58.1	Offices under the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation region 'A'
11.	51.1	Offices under Deptt. of Defence, production region 'A'	13.	59 to 59.1	Offices under Ministry of Telecommunication (Hq.) & region 'A'
12.	52.1, to 52.3	Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce region 'A' to 'C'	14.	61.1, 61.2 & 61.3	Offices under D/o Posts region 'A', 'B' & 'C'
13.	57.3	Offices of M/o Textiles region 'C'	15.	64.1	Offices under Deptt. of Ministry of Rural Development, Department of Rural Development region 'A'
14.	58.1	Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation region 'A'	16.	69	Election Commission of India(hq)
15.	59, 59.1 & 59.3	D/o Telecom. M/o Communications & Information Tech.(HQ) or region 'A' & 'C'	17.	75.3	Offices under Ministry of Petroleum and Natural Gas region 'C'
16.	61.1, 61.2 & 61.3	Offices under D/o Posts region 'A', 'B' & 'C'			
17.	73.1	Offices under Ministry of Minority Affairs region 'A'			

अध्याय-2

भाग-ख

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालय/ विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (3)3 का उल्लंघन हुआ है:			मंत्रालय/ विभागों के नाम, जिनमें राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों विभागों/ कार्यालयों के नाम
1.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	1.	9.1	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
2.	10.1 to 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	2.	10.1& 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	26	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय(मु०)	3.	18.3	विदेश मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
4.	31.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	4.	20.1	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
5	32.2 to 32.3	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	5.	32.1	भारी उद्योग मंत्रालय के 'क' क्षेत्र के कार्यालय
6.	37.1 to 37.3	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	6.	40.3	पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
7	40.1	पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	7.	42.1 to 42.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग क्षेत्र 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
8.	42.1 to 42.3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	8.	43.1	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
9.	43.3	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	9.	48.1	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
			10.	49.3	औषध विभाग के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
10.	49.2 to 49.3	औषध विभाग के अधीन 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	11.	52.1	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
11.	51.1	रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग (सचिवालय) के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	12.	58.1	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
12.	52.1, से 52.3	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	13.	59 to 59.1	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग(मु.) के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
13.	57.3	वस्त्र मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	14.	61.1, 61.2 & 61.3	संचार मंत्रालय, डाक विभाग के अधीन 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
14.	58.1	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	15.	64.1	ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
15.	59, 59.1 or 59.3	संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के अधीन 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	16.	69	भारत निर्वाचन आयोग(मु.) क्षेत्र के कार्यालय
16.	61.1, 61.2 or 61.3	संचार मंत्रालय, डाक विभाग के अधीन 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	17.	75.3	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
17.	73.1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय			

CHAPTER-2

PART-B

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2023-24

The Ministries/Depts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-			The Ministries/Depts. where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-		
Sr. No	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	S.No	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
1.	1, 1.1 to 1.2	Department of Space (Secretariat) & its Centres under, region B & C	24.	25.12, 25.12.1 to 25.12.3	Union Bank of India (HQ) & its offices in region A to C
2.	2.1 to 2.3	Offices under M/o Coal region A to C	25.	25.13, 25.13.1 to 25.13.3	Indian Bank(HQ) and its offices in- region A to C
3.	4	Ministry of Social Justice & Empowerment region-A	26.	25.14,25.14.1 to 25.14.3	National Housing Bank (HQ) and its offices in- region A to C
4.	5.1	M/o Personnel, Pub. Grievances & Pensions, D/o Personnel & Training in region-A	27.	25.15, 25.15.1 to 25.15.3	The Oriental Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
5.	8.3	Offices under Deptt. of Food & Public Distribution under region-C	28.	25.16, 25.16.1 to 25.16.3	The United India Insurance Co. Ltd (HQ) and its offices in region A to C
6.	9.1 & 9.3	Offices under Deptt. of Consumer Affairs, region A & C	29.	25.17	Agriculture Insurance Co. of India Ltd (HQ)
7.	10.1 to 10.3	Offices under Ministry of Home Affairs region A to C	30.	25.20,25.20.1 to 25.20.3	IOB (HQ) & its offices in region A to C
8.	12.1 to 12.3	Offices under Deptt. of Atomic Energy of its Units/ Undertakings/Institutions under region A to C	31.	25.22,25.22.1 to 25.22.3	Canara Bank. (HQ) & its offices in region A to C
9.	14.1 to 14.3	Offices under M/o Education , D/o Higher Education region A & C	32.	27.1 & 27.3	Ministry of AYUSH Region-A & C
10.	15.2	Offices under Ministry of Earth Science region B	33.	29.1	Ministry of Information & Broadcasting offices in region A
11.	16.1	Offices under NITI AYOG Offices under region A	34.	31.2	Offices under Ministry of Food Processing Industries in region-B
12.	17, 17.1 to 17.3	M/o Railways (Railway Board) and its offices under region A to C	35.	32.1 to 32.3	Offices under M/o Heavy Industries in region A to C
13.	18.2	Ministry of External Affairs, region B	36.	34.1 & 34.3	Offices under M/o Steel- region-'A & C'
14.	20.1 to 20.3	Offices under Department of Legal Affairs– Region 'A to C'	37.	35.1 & 35.3	Offices under M/o New and Renewable Energy- Region-A & C
15.	21.1	Offices under Department of Expenditure region-A	38.	36.1	Offices under M/o Power in region A
16.	23.1	Offices under Deptt. of Revenue region- A	39.	37.1 & 37.3	M/o Agriculture ,Co-operation and Farmer Welfare in region A & C
17.	24.2& 24.3	Deptt. of Economic Affairs Ministry of Finance and its offices under region B to C	40.	38.1 to 38.3	Department of Agricultural Research & Education offices in region A to C
18.	25.3.1	UCO Bank (HQ) and its offices under region A	41.	40	Offices under M/o Ministry of Animal Husbandry and Dairying(HQ)
19.	25.4 & 25.4.1 to 25.4.3	Bank of India (HQ) and its offices in region A to C	42.	42, 42.2 & 42.3	Offices under the Comptroller & Auditor General of India region-A to C
20.	25.5 and 25.5.1 to 25.5.3	SIDBI and its offices in region A to C	43.	43.2 & 43.3	Offices under M/o Shipping, region B & C
21.	25.7 , 25.7.1 and 25.7.3	NABARD (HQ) and its offices in region A & C	44.	47.1 & 47.3	Offices under D/o Chemicals & Petro-Chemicals, region A & C
22.	25.9 to 25.9.1& 25.9.3	Punjab & Sind Bank (HQ) and its offices in region A to C	45.	49.2 to 49.3	Offices under D/o Pharmaceuticals in region B to C.
23.	25.10, 25.10.1 to 25.10.3	IDBI (HQ) and Its offices under IDBI in region A to C.	46.	51.1 to 51.3	Offices under Deptt. of Defence Production, Region A to C

अध्याय-2

भाग-ख

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
1.	1, 1.1 to 1.2	अंतरिक्ष विभाग (मुख्यालय) तथा अंतरिक्ष विभाग के अधीन 'क' और 'ख' क्षेत्र के कार्यालय	24.	25.12, 25.12.1 to 25.12.3	यूनियन बैंक आफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) एवं इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
2.	2.1 to 2.3	कोयला मंत्रालय और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	25.	25.13, 25.13.1 to 25.13.3	इंडियन बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
3.	4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	26.	25.14, 25.14.1 to 25.14.3	राष्ट्रीय आवास बैंक (प्रधान कार्यालय और उसके) अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
4.	5.1	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालय	27.	25.15, 25.15.1 to 25.15.3	दि ऑरियेंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
5.	8.3	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	28.	25.16, 25.16.1 to 25.16.3	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रधान कार्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
6.	9.1 & 9.3	उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन 'क' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	29.	25.17	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड(मु0)
7.	10.1 to 10.3	गृह मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	30.	25.20, 25.20.1 to 25.20.3	इंडियन ओवरसीज बैंक (मुख्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
8.	12.1 to 12.3	परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के यूनिटसंस्थान/उपक्रम/	31.	25.22, 25.22.1 to 25.22.3	केनरा बैंक (मुख्यालय) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
9.	14.1 to 14.3	उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	32.	27.1 & 27.3	आयुस मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
10.	15.2	जल शक्ति मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	33.	29.1	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
11.	16.1	नीति आयोग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	34.	31.2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय
12.	17, 17.1 to 17.3	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	35.	32.1 to 32.3	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 'क' तथा 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
13.	18.2	विदेश मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय	36.	34.1 & 34.3	इस्पात मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
14.	20.1 to 20.3	विधि कार्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	37.	35.1 & 35.3	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
15.	21.1	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	38.	36.1	विद्युत मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय
16.	23.1	राजस्व विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय	39.	37.1 & 37.3	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 'क' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
17.	24.2 & 24.3	आर्थिक कार्य विभाग (मु0) के अधीन 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	40.	38.1 to 38.3	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
18.	25.3.1	यूको बैंक (प्रधान कार्यालय) तथा इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	41.	40	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मु.)
19.	25.4 & 25.4.1 to 25.4.3	बैंक ऑफ इंडिया (प्रधान कार्यालय) तथा इसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	42.	42, 42.2 & 42.3	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय(मु.), अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
20.	25.5 and 25.5.1 to 25.5.3	सिडबी(प्रधान कार्यालय) तथा इसके क से ग क्षेत्र में स्थित कार्यालय	43.	43.2 & 43.3	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
21.	25.7, 25.7.1 and 25.7.3	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (मुख्या) और उसके अधीन 'क' एवं 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	44.	47.1 & 47.3	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
22.	25.9 to 25.9.1 & 25.9.3	पंजाब एंड सिंध बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	45.	49.2 to 49.3	औषध विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
23.	25.10, 25.10.1 to 25.10.3	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रधान कार्यालय) और उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	46.	51.1 to 51.3	रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय

CHAPTER-2

PART-B (Contd....)

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc. during the year 2023-24

The Ministries/ Departments/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-			The Ministries/ Departments/ Offices where Codes/Manuals etc. are not bilingual as per Rules:-		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments/ Offices
47.	52.1 to 52.3	Ministry of Commerce & Industry, D/o Commerce, region A to C	63.	75.1 to 75.3	Offices under Ministry of Petroleum & Natural Gas, region 'A' to 'C'
48.	53.1 & 53.3	D/o Industrial Policy & Promotion Offices, Internal Trade under - region A & C	64.	77.1	Ministry of Women and Child Development in region 'A'
49.	54.1 & 54.3	D/o Science & Technology, Ministry of Science & Technology Offices under – region 'A & C'			
50.	55.2 & 55.3	D/o Biotechnology, Ministry of Science & Technology Offices under – region 'B & C'			
51.	57.1 to 57.3	Offices of M/o Textiles- region 'A to C'			
52.	58.2	Ministry of Housing & Urban Affairs, region 'C'			
53.	59.1 and 59.2	D/o Telecom. M/o Communications & Information Offices under region A & B			
54.	60.2	Offices under D/o Electronics & Information Tech.in region 'B'			
55.	61.1	Offices under, Department of Post region A			
56.	62.1 to 62.3	Ministry of Labour and Employment in region 'A to C'			
57.	64.2	Offices under, Deptt. of Rural Development region B			
58.	66.1 to 66.3	Offices under M/o Tourism- region A to C			
59.	67,67.1, & 67.3	Offices under M/o Culture (HQ) and its Offices under region A & C			
60.	69	Election Commission of India(HQ)			
61.	73.1	Ministry of Minority Affairs, region 'A'			
62.	74.3	Offices under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise in region 'C'			

अध्याय-2 (जारी.....)
भाग-ख

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:			मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों के नाम, जिनमें कोड/मैनुअल आदि नियमानुसार द्विभाषी नहीं है:		
क्र. सं.	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम	क्र.सं	कोड संख्या	मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों के नाम
47.	52.1 to 52.3	वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	63.	75.1 से 75.3	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय
48.	53.1 & 53.3	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	64.	77.1	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र का कार्यालय
49.	54.1 & 54.3	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
50.	55.2 & 55.3	बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'ख' और 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
51.	57.1 to 57.3	वस्त्र मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
52.	58.2	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
53.	59.1 and 59.2	दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'क' और 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
54.	60.2	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
55.	61.1	डाक विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र का कार्यालय			
56.	62.1 to 62.3	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
57.	64.2	ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
58.	66.1 to 66.3	पर्यटन मंत्रालय के अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
59.	67,67.1, & 67.3	संस्कृति मंत्रालय (मुख्या.) तथा उसके अधीन 'क' से 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
60.	69	निवार्चन आयोग (मुख्यालय)			
61.	73.1	अल्प संख्यक मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र का कार्यालय			
62.	74.3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			

CHAPTER-2

PART-B

Assessment of the implementation of the Official Language Policy in Ministries/Departments/Offices etc., during the year 2023-24

Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed 04 meetings of Official Language Implementation Committee during the year.			Names of the Ministries/Deptts. which have not convened the prescribed 04 meetings of official language Implementation committee during the year.		
Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments	Sr. No.	Code No.	Names of Ministries/ Departments
1.	4	(A) Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances Ministry of Personnel, Pub. Grievances & Pensions	18.	69	(A) Election Commission of India (HQ)
2.	8.3	(C) Offices under D/o Food & Public Distribution region "C"	19.	70	(A) Ministry of Panchayati Raj (HQ)
3.	11 to 11.3	Deptt. of Consumer Affairs (H.Q) to Shakti region "C"	20.	72	(A) Ministry of North-Eastern Region Development(HQ)
4.	16.1	(A) Offices under M/o Jal Shakti region "A"			
5.	18	(A) Ministry of External Affairs			
6.	19 & 19.1	(A) Ministry of Law and Justice, Legislative Department(H.Q)& region "A"			
7.	21.1	(A) Offices under Deptt. of Expenditure region "A"			
8.	24	(A) Deptt. of Revenue (HQ), Ministry of Finance			
9.	27.2	(B) Deptt. of Economic Affairs Ministry of Finance Offices under region "B"			
10.	30	(A) Ministry of AYUSH Offices under region "B"			
11.	32	(A) M/o Heavy Industries (HQ)			
12.	33	(A) D/o Public Enterprises (HQ), M/o Finance			
13.	41	(B) Offices under Ministry of Power (HQ)			
14.	48	(A) Deptt. of Fertilizer, M/o Chemical & Fertilizers (HQ)			
15.	53&53.3	(A) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (HQ), 'C' Region			
16.	59	Ministry of Communication, Department of Telecommunication (HQ)			
17.	64.2	(B) Ministry of Rural Development, Department of Rural Development "B" Region			

अध्याय-2

भाग-ख

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय/विभागों / कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुईं :			मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निर्धारित चार बैठकें आयोजित नहीं हुईं :		
क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम	क्रम सं.	कोड संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1.	4	(क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	18.	69	(क) भारत का निर्वाचन आयोग
2.	8.3	उपभोक्ता मामले विभाग (मु.)	19.	70	(क) पंचायती राज मंत्रालय (मु.)
3.	11 to 11.3	(ग) जल शक्ति मंत्रालय के (मु.) और अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय	20.	72	(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (मु.)
4.	16.1	(क) नीति आयोग के अधीन 'क' क्षेत्र के कार्यालय			
5.	18	(क) विदेश मंत्रालय			
6.	19 & 19.1	(क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के अधीन कार्यालय			
7.	21.1	(क) व्यय विभाग के अधीन कार्यालय			
8.	24	(क) राजस्व विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय			
9.	27.2	(क) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन 'ख' क्षेत्र के कार्यालय			
10.	30	(ख) आयुष मंत्रालय के अधीन "ख" क्षेत्र के कार्यालय			
11.	32	(क) भारी उद्योग मंत्रालय (मु.)			
12.	33	(क) लोक उद्यम विभाग (मु.), वित्त मंत्रालय			
13.	41	(ख) विद्युत मंत्रालय (मु.)			
14.	48	(क) औषध विभाग (मु.)			
15.	53&53.3	क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (मु.) और अधीन 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
16.	60	(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 'ग' क्षेत्र के कार्यालय			
17.	64.2	(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन "ख" क्षेत्र के कार्यालय			

CHAPTER-3

SHORTCOMINGS NOTICED IN THE IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY, REMEDIAL MEASURES FOR REMOVING THEM AND SUGGESTIONS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Sources of Statistics on Implementation of Official Language

The implementation of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and Official Language Rules, 1976 framed there under and orders/instructions issued by the Government of India from time to time for stepping up the use of Hindi is ensured by close monitoring of the Quarterly Progress Reports, Annual Assessment Reports and Six-monthly Reports pertaining to training in Hindi, Hindi Typing/Hindi Stenography, IT Tools and Translation Skills. All Ministries/Departments of Central Government prepare the above reports in the prescribed proforma showing the progress made in the use of Hindi and these reports are sent to the Department of Official Language. These reports are scrutinized in the Department of Official Language and shortcomings are brought to the notice of concerned Ministries/Departments.

The deficiencies noticed by comparative assessment of the implementation/ work done by various Ministries / Departments, Offices, Undertakings, etc. have been mentioned in Part -B of Chapter 2.

Suggestions for removing the deficiencies noticed in implementation :

The following action is suggested by the Department of Official Language for addressing the deficiencies noticed:

- (1) The pending work of Hindi translation of Central Rules, Manuals, Forms, Codes and other procedural literature should be got completed on priority basis according to time bound programme and its publication should be in diglot-form.
- (2) Every office must send its reply in Hindi to letters received in Hindi. This Point has always been stressed upon while reviewing the Quarterly Progress reports. If letter received in Hindi is replied to in English the matter is brought to the notice of the concerned office. Offices concerned are requested to review the matter so as to avoid recurrence.
- (3) With a view to increase Hindi Correspondence, original Hindi noting/drafting may be encouraged. Ministries / Departments have been asked to do maximum correspondence in Hindi.
- (4) Documents mentioned under Section 3 (3) of the Official Languages Act must be issued bilingually. It is specifically stressed that all these documents must be issued in both Hindi and English simultaneously.
- (5) Central Government Offices should ensure that all the computers have Unicode enabled on them so that official work in Hindi is done on them easily and smoothly.

(6) Extensive review of progress made in implementation of Official Language Policy should be made in the meetings of the Official Language implementation committees and the Town Official Language Implementation Committees.

(7) It is emphasized that the employees not having working knowledge of Hindi may be got trained through Hindi Teaching Scheme / Central Hindi Training Institute or through the correspondence course of the Central Hindi Directorate.

(8) In the meetings of Hindi Advisory committee, Official Language Implementation Committees and the Town Official Language Implementation Committees as well as on other occasions, attention of senior officers is drawn to the need to encourage the staff to work in Hindi and they are also asked to do their work in Hindi progressively.

Measures for removing the shortcomings noticed in implementation:

A number of significant initiatives have been taken by the DOL and notable achievements have been made by various Ministries/ Departments towards wider and more effective use of Hindi as Official Language. Salient features of measures taken by the Department of Official Language include the following:

(i) The Department of Official Language bestows the ‘**Rajbhasha Gaurav Puraskar**’ with an objective to encourage writing books originally in Hindi. A revised award scheme named ‘**Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna**’ from the year 2022-23 is introduced by the Department of Official Language. Under the scheme, the citizens of India will be awarded as follows:-

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.

(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Forensic Science, Police, Criminology Research and Police Administration.

(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage.

(D) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi in the field of law.

To promote use of official language Hindi. “**Rajbhasha Kirti Puraskar**” are given by the Department of Official Language to Ministries/Departments, Public Sector Undertakings, Boards/Autonomous Bodies/Trusts etc., Nationalized Banks and in-house Hindi Magazines which register significant progress in the use of Official Language. Information about these two award schemes is available at the website of the Department of Official Language www.rajbhasha.gov.in.

अध्याय-3

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियां और उनके निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय तथा राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव

राजभाषा के कार्यान्वयन पर सांख्यिकी के स्रोत

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा अनुवाद दक्षताओं से संबंधित छमाही रिपोर्ट के द्वारा निगरानी करके सुनिश्चित की जाती है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। राजभाषा विभाग में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और कमियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद जानकारी में आई कमियों का अध्याय-2 के भाग 'ख' में उल्लेख किया गया है-

कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव:

इस संबंध में संज्ञान में आई कमियों के बारे में अवगत कराते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है :-

- (1) जिन केंद्रीय नियमों, मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद शेष है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अनूदित कराया जाना चाहिए और उसका डिग्लॉट रूप में प्रकाशन होना चाहिए।
- (2) प्रत्येक कार्यालय को हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही देना है। इस मुद्दे पर प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट में निरंतर जोर दिया जाता है। यदि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है तो इस मुद्दे को संबंधित कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है। संबंधित कार्यालय से अनुरोध है कि इस मुद्दे की समीक्षा करें ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो।
- (3) हिंदी में पत्राचार की वृद्धि के लिए मूल हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालयों/विभागों को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए गए हैं।
- (4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेजों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाएं।
- (5) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में सरलता और सहजता से काम किया जा सके।

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए।

(7) जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(8) हिंदी सलाहकार समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में और अन्य अवसरों पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उनसे उत्तरोत्तर हिंदी में कार्य करने के लिए भी अनुरोध किया जाए।

कार्यान्वयन में संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के लिए उपाय:-

राजभाषा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के व्यापक और अधिक प्रभावी उपयोग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। राजभाषा विभाग द्वारा किए गए उपायों सहित अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) राजभाषा विभाग द्वारा मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) To make personnel of Central Government proficient in Hindi in official work, a training programme “PARANGAT” is being run.

(iii) New Town official Language Implementation Committee is constituted wherever required. The target is to have a Town official Language Implementation committee in each of such district headquarter/ major city in the district having 10 or more Central Government offices.

(iv) The regional Official Language conferences are being held in different parts of the country to ensure effective implementation of Official Language Policy and to encourage the employees of different Central Government Offices.

(v) The Department of Official Language organized a grand Hindi Diwas Celebration-2024 and the Fourth All India Official Language Conference at Bharat Mandapam, New Delhi on 14-15 September 2024. This year's Hindi Diwas celebration was very special because it was celebrated as 'Rajbhasha Diamond Jubilee' by the Department of Official Language to mark the completion of 75 years of Hindi being accepted as the Official Language of the Union by the Constituent Assembly of India on 14 September 1949.

The two-day All India Official Language Conference was presided over by Hon'ble Minister for Home Affairs and Cooperation Shri Amit Shah. The Hon'ble Minister inspected the stalls set up by the Official Language Department and other Ministries and Departments after he arrived at the venue. Thereafter, after the national anthem, the Hon'ble Minister inaugurated the conference by lighting the lamp along with other dignitaries seated on the dais.

The students of Dudheshwarnath Ved Vidyapeeth, Ghaziabad recited melodious prayers and Mantras. Thereafter, the Secretary (Dept. of Official Language) honoured the Hon'ble Minister for Home Affairs and Cooperation and the Joint Secretary (Dept. of Official Language) honoured the Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh by presenting them with Diamond Jubilee memento and a book.

Thereafter, Hon'ble Minister of State for Home Affairs Shri Nityanand Rai, Hon'ble Minister of State for Home Affairs Shri Bandi Sanjay Kumar, Hon'ble Vice-President of Committee of Parliament on Official Language Shri Bhartrihari Mahtab, senior poet Dr. Hari Om Pawar, renowned litterateur Prof. Surya Prasad Dixit, Hindi scholar Shri M. Govindarajan and Prof. R.S. Sarraju present on the stage were felicitated by presenting them with Diamond Jubilee memento and books by senior officers of the Dept. of Official Language.

After the welcome address by Secretary, Dept. of Official Language, Smt. Anshuli Arya, the Hon'ble Home Minister released the Diamond Jubilee commemorative coin and postage stamp. He also inaugurated the Bhartiya Bhasha Anubhag. Thereafter, Hindi books published by various Departments and institutions of the Government of India were released by the Hon'ble Minister.

As the main event of the programme, Hon'ble Home Minister gave away the Official Language Awards to the winners of Ministries/Departments/Offices and other categories who made excellent use of the Official Language Hindi in official work.

Hon'ble Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah, who was present as the Chief Guest, in his address, stressed that there is no competition between Hindi and other languages of India. Hindi and all Indian languages complement each other. He appreciated the efforts being made by the Department of Official Language to make Hindi technologically advanced to enrich and broaden the language and for the expansion and development of the mother tongues of the country. He especially expressed his views regarding the usefulness of the digital dictionary Hindi Shabd Sindhu and called for making it the world's largest dictionary in the next five years.

At the end of his address, he congratulated everyone on Hindi Diwas and appealed to the senior officers to do as much of their official work as possible in Hindi. Shri Shah underlined the need to consider the important suggestions, ideas and expectations of all the speakers of the programme. Apart from the inaugural session, special session and closing session, the two-day program which was divided into a total of 6 other sessions, witnessed address by Deputy Chairman of Rajya Sabha Mr Harivansh, Rajya Sabha MP Dr. Sudhanshu Trivedi, Union Law and Justice Minister Mr. Arjun Ram Meghwal, former Minister of State for Home Affairs Shri Ajay Kumar Mishra, Dr. Kumar Vishwas, Ms. Kavita Tiwari, Dr. Ispak Ali, Prof. Sunil Babu Kulkarni, Prof. Girishnath Jha, Prof. S. Tankamani Amma, Dr. Vimlesh Kanti Verma, Mr. Sanjay Kulshreshtha, Mr. Ajay Kumar Shrivastav, Mr. Atul Kumar Goyal, Dr. Amlan Tripathi, Prof. Sangeet Ragi, Mr. Anupam Kher and Dr. Chandraprakash Dwivedi who graced the program with their active participation.

With this, the two-day Hindi Diwas Celebration 2024 and the Fourth All India Official Language Conference concluded successfully.

(vi) Various awards schemes are being implemented to encourage the use of Rajbhasha Hindi in the official work of Ministries/Departments, Undertakings and Banks. The outstanding achievements are being recognized and honored during the Hindi Day celebrations and Regional Conferences.

(vii) With a view to advising the Ministries/ Departments of Central Government regarding the smooth implementation of Official Language policy, Hindi Advisory Committees have been constituted under the chairmanship of their respective Ministers.

(viii) With a view to reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Govt., a Central Official Language Implementation Committee has been constituted in the Department of Official Language under the chairmanship of Secretary, Department of Official Language. The Officer in-charge (Joint Secretary level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee.

(ix) **LILA-Rajbhasha (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence)** mobile app was launched on 14 September 2017. The package is available on the department's website www.rajbhasha.gov.in. Apart from English and Hindi, the Central Government employees can learn Hindi on their own in 14 other Indian languages respectively, Assamese, Bodo, Bangla, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu.

(x) **“Lila Hindi Pravah”** was released on 14th September, 2018. This new syllabus under the name “LILA Hindi Pravah” has been designed to provide higher knowledge of Hindi to the general public as well as employees having working knowledge of Hindi language. In addition to English, Hindi can be learned on their own through 14 other Indian languages.

(ii) केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'पारंगत' शुरू किया गया है।

(iii) जहां कहीं आवश्यकता होती है, नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाती हैं। ऐसे जिला मुख्यालयों/जिले के बड़े शहरों, जहां केंद्र सरकार के 10 अथवा अधिक कार्यालय हैं, प्रत्येक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का लक्ष्य है।

(iv) राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों के प्रोत्साहन हेतु देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।

(v) राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह बहुत विशेष रहा क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा इसे 'राजभाषा हीरक जयंती' के रूप में मनाया गया।

दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने की। उन्होंने सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर संयोजित राजभाषा विभाग तथा अन्य मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। तत्पश्चात, राष्ट्रगान के बाद माननीय मंत्री जी ने मंचासीन अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया।

दूधेश्वरनाथ वेद विद्यापीठ, गाजियाबाद के विद्यार्थियों ने बहुत ही कर्णप्रिय स्वस्ति वाचन एवं मंत्रोच्चार किया। तत्पश्चात, सचिव राजभाषा ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को और संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश जी को हीरक जयंती प्रतीक चिह्न एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।

इसी क्रम में, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंच पर उपस्थित माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब, वरिष्ठ कवि डॉ. हरि ओम पंवार, विख्यात साहित्यकार प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, दक्षिण भारत के हिंदी विद्वान श्री एम. गोविंदराजन और प्रो. आर. एस. सर्राजु को हीरक जयंती प्रतीक चिह्न एवं पुस्तकें भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

सचिव, राजभाषा विभाग श्रीमती अंशुली आर्या के स्वागत संबोधन के पश्चात माननीय गृह मंत्री ने अपने कर-कमलों से हीरक जयंती स्मारक के रूप में सिक्का एवं डाक टिकट का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ किया। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी के कर-कमलों से भारत सरकार के कुछ विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य सोपान के रूप में माननीय गृह मंत्री जी ने सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी का उत्कृष्ट प्रयोग करने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा अन्य वर्गों के पुरस्कार विजेताओं को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में जोर दे कर कहा कि भारत की अन्य भाषा के साथ हिंदी की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिंदी और सभी भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने हिंदी को तकनीकी दृष्टि से समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए तथा देश की मातृभाषाओं के विस्तार एवं विकास के लिए राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल शब्दकोश हिंदी शब्द सिंधु की उपयोगिता के बार में अपने विचार रखते हुए अगले पाँच वर्षों में इसे विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाने का आह्वान किया।

अपने प्रेरक संबोधन के अंत में उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित अधिकारियों से अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की अपील की। श्री शाह जी ने कहा कि समारोह के सभी वक्ताओं की अपेक्षाओं, विचारों एवं महत्वपूर्ण सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्घाटन सत्र, विशेष सत्र तथा समापन सत्र के अलावा कुल 6 अन्य सत्रों में विभाजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में अलग-अलग सत्रों में वक्ताओं के रूप में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, राज्यसभा के सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, डॉ. कुमार विश्वास, सुश्री कविता तिवारी, डॉ. इसपाक अली, प्रो. सुनील बाबु कुलकर्णी, प्रो. गिरीशनाथ झा, प्रो. एस. तंकमणि अम्मा, डॉ. विमलेश क्रांति वर्मा, श्री संजय कुलश्रेष्ठ, श्री अजय कुमार श्री वास्तव, श्री अतुल कुमार गोयल, डॉ. अम्लान त्रिपाठी, प्रो. संगीत रागी, श्री अनुपम खेर तथा डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी आदि ने सक्रिय भागीदारी करके कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।

इसके साथ ही, दो दिवसीय हिंदी दिवस समारोह 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का अत्यंत सफल एवं सार्थक आयोजन सम्पन्न हुआ।

(vi) मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों और बैंकों के सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिंदी दिवस समारोहों और क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों की पहचान करके सम्मानित किया जाता है।

(vii) राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने की बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(viii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इस समिति के सदस्य हैं।

(ix) **लीला-राजभाषा (LILA-Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) मोबाइल ऐप** का लोकार्पण 14 सितंबर, 2017 को किया गया। यह पैकेज विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी अंग्रेजी, हिंदी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं क्रमशः असमिया, बोडो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगू के माध्यम से स्वयं हिंदी भाषा सीख सकते हैं।

(x) 14 सितंबर, 2018 को **“लीला हिंदी प्रवाह”** का लोकार्पण किया गया। हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ जनसाधारण को भी हिंदी का उच्चतर ज्ञान कराने के लिए “लीला हिंदी प्रवाह” नाम से यह नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें भी अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से स्वयं हिंदी सीखी जा सकती है।

(xi) In the updated version of '**Kanthasth 2.0**'(**Anuvad Sarthi**), three new features have been added, making it a very useful software. These features are as follows:

Neural Machine Translation i.e. Machine based Translation—With the facility of neural machine translation it will now not only translate from its memory (which currently holds around 5 crore sentences) but will also provide machine translation.

Smart Chatbot - It's like “May I Help You”. It briefly answers many questions for the new user. You may call it "FAQs" or "Frequently Asked Questions". With the help of these, users will get very important information regarding use of Kanthastha.

Voice Typing - Now the facility of voice typing has also been made available for typing in this software. User can also type by speaking.

So far, about 5 crore sentences have been uploaded in its global memory.

(xii) "**E-Saral Hindi Sentences**" was released on 14th September, 2019 in which about **Fourteen thousand sentences** have been uploaded by various Ministries / Departments so far.

(xiii) '**Hindi Shabd Sindhu**' is being developed to enrich Hindi with the words from other Languages of the country. In this dictionary, along with the vocabulary related to various subjects i.e. - Mass Communication, Ayurveda, Sports, Space Science, Physics, Chemistry, Biology, Aeronautics, Computer Science, Electronics, Geology, Humanities, etc., traditional vocabulary is also being included. In this dictionary along with the entry, its grammatical category, meaning, synonym, usage as per requirement, antonyms, idioms and other necessary information have been given. This dictionary is completely digital and in searchable format. This will be a dictionary which will be fully up-to-date and inclusive, having collection of all words used in Hindi with their meanings. In the dictionary, words from Hindi language and Hindi speaking region's dialects and languages, common words of other Indian languages, media and new media terms, words of technology and science, words of law and justice are also being included. This will be fully Digital - Web based. The dictionary is being developed as per the standardized spelling prescribed by the Central Hindi Directorate. Unicode font is being used in this dictionary which will have facility to search words by typing in Hindi and English.

(xiv) **Bhartiya Bhasha Anubhag**

Establishment of Bhartiya Bhasha Anubhag (Indian Languages Section) is an ambitious project of this Department which has been launched by Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah during the 4th All India Official Language Conference and Hindi Diwas Celebrations, 2024 on 14-15 September 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi. The purpose of setting up this section is to develop a mechanism through which correspondence between the Central Government and the State Governments can also be done in the First Official Language of the State. It has been proposed to develop a universal system of translation in 15 Indian languages of the Eighth Schedule of the Constitution.

(xi) “कंठस्थ 2.0” (अनुवाद सारथी) के अद्यतन संस्करण में तीन नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे यह अब बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर बन गया है। ये फीचर इस प्रकार हैं :-

न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद - इस सुविधा के अनुसार अब यह न केवल अपनी मेमोरी (जिसमें इस समय करीब 5 करोड़ वाक्य हैं) से अनुवाद देगा बल्कि मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध कराएगा।

स्मार्ट चैटबोट - यह May I Help You की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से “FAQs” या “अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न” कह सकते हैं। इनसे प्रयोक्ताओं को कंठस्थ का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

वॉयस टाइपिंग - अब इस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करने के लिए वॉयस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

इसकी ग्लोबल मेमोरी में अब तक करीब 5 करोड़ वाक्यों को अपलोड किया जा चुका है।

(xii) राजभाषा विभाग द्वारा “ई-सरल हिंदी वाक्यकोश” का लोकार्पण 14 सितंबर, 2019 को किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अब तक लगभग चौदह हजार वाक्य अपलोड किए गए हैं।

(xiii) **‘हिन्दी शब्द सिंधु** - बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों- जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त्र, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी गई हैं। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चैबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द, मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं। यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित होगा तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा होगी।

(xiv) **भारतीय भाषा अनुभाग** - भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका शुभारंभ 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। इस अनुभाग की स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

